छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **षष्ठम् सत्र**

गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2025
(आषाढ़ 26, शक सम्वत् 1947)

[अंक 04]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2025

(आषाढ़ 26, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल निजी विश्वविद्यालय वाले विधेयक पर चर्चा चल रही थी, जो कि सक्ती में खुलना था, उसमें नेता प्रतिपक्ष जी ने बहिष्कार कर दिया। शायद उनको दूसरे वाले विधेयक में बहिष्कार करना था।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- मुझे कृषि वाले विधेयक में बहिष्कार करना था।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, लेकिन आपने तो सक्ती वाले विधेयक में बहिष्कार कर दिया।

डॉ. चरण दास महंत :- नहीं-नहीं, मुझे कृषि वाले विधेयक में बहिष्कार करना था। सक्ती तो मेरे क्षेत्र का है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह सब गड़बड़-सड़बड़ कैसे हो रहा है ?

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई गड़बड़-सड़बड़ नहीं हो रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, कल आपने स्थगन में धन्यवाद दिया था, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सीज फायर हो गया और अभी तक ट्रंप ने सीज फायर नहीं किया है तो हम लोग अभी तक ट्रंप को खोज रहे हैं कि ट्रंप कौन है, जिसने सीज फायर कराया है ?

श्री अजय चंद्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, सक्ती में जो यूनिवर्सिटी खुल रही है, क्या आप उसके विरोध में हैं ? कल तो आपने उसकी चर्चा में बहिष्कार कर दिया था।

डॉ. चरण दास महंत :- बहन जी, वह मेरे क्षेत्र सक्ती में खुल रहा है। चाहे आप खोले या कोई भी खोले, मेरे लिए तो अपने क्षेत्र में ही खुल रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, लेकिन आपने तो उसमें बहिष्कार किया था। पहले नंबर में तो वही था, ई-मण्डी तो दूसरे नंबर में था। लेकिन आपने तो उसी में बहिष्कार कर दिया।

डॉ. चरण दास महंत :- नहीं, जब वह ई-मण्डी वाला विधेयक पढ़ रहे थे, तब मैंने बहिष्कार किया था।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर बढ़िया चल रहा था। एयर बेस पर भी हमला हो गया था, लेकिन सीज फायर हो गया तो हम ट्रंप को खोज रहे हैं। (हंसी)

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष जी, उधर तो सीज फायर हो रहा था, लेकिन आप तो इधर फायर कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक-1, सुश्री लता उसेंडी जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज रामविचार जी का पूरा प्रश्न सेटिंग वाला है। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, यह असंसदीय भाषा है। (हंसी)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय मंत्री जी, असंसदीय भाषा तो आपने कल कान में बोली थी, हमने सुन लिया था। (हंसी)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में मण्डल संयोजक की भर्ती परीक्षा की स्थिति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

1. (*क्र. 885) सुश्री लता उसेंडी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत मण्डल संयोजक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में कितने मण्डल संयोजक कार्यरत हैं? स्वीकृत कुल पदों पर कितने नियमित मण्डल संयोजक, नियमित छात्रावास अधीक्षक एवं कितने शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी संलग्न हैं? **(ख)** विभागीय भर्ती नियम अंतर्गत मंडल संयोजक बनने हेतु क्या पात्रता है एवं विभागीय पदोन्नति के क्या नियम हैं तथा क्या अन्य किसी विभाग के कर्मचारी को मंडल संयोजक बनाया गया है? **(ग)** क्या मण्डल संयोजक के परिसीमित विभागीय भर्ती परीक्षा, 2023, दिनांक 14.07.2023 को विज्ञापन जारी किया गया था? उक्त भर्ती प्रक्रिया की क्या स्थिति है? अगर भर्ती परीक्षा लंबित है तो क्यों? **(घ)** क्या वर्तमान में हो रहे युक्तियुक्तिकरण में प्रभारी मंडल संयोजक को उक्त प्रक्रिया से बाहर रखा गया है? यदि हां तो क्या योग्य/पात्र व्यक्ति को मंडल संयोजक के पद पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके मूल पदस्थापना में पुनः भेजा जाएगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) विभाग अंतर्गत मण्डल संयोजक के कुल 85 पद स्वीकृत है। स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में 03-नियमित मण्डल संयोजक कार्यरत है। जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार 12-नियमित छात्रावास अधीक्षक एवं 59-शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को मण्डल संयोजक के पद पर प्रभार दिया गया है। इस प्रकार स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में कुल 74 मण्डल संयोजक कार्यरत है। **(ख)** विभागीय भर्ती नियम अंतर्गत मण्डल संयोजक बनने हेतु छ.ग. अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ सेवा (तृतीय वर्ग अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियम-2011 यथा संशोधित नियम-2018 **प्रपत्र-"अ" में संलग्न** है। शिक्षक संवर्ग के 59 शिक्षको के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग के कर्मचारियों को मण्डल संयोजक का प्रभार नहीं दिया गया है। **(ग)** जी हॉ, मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्र. 8708/2023 एवं अवमानना प्र.क्र. 1228/2024 दायर होने के फलस्वरूप लंबित रहा है। **(घ)** युक्तियुक्तकरण में मण्डल संयोजकों को उक्त प्रक्रिया से बाहर रखने की जानकारी **प्रपत्र "ब" अनुसार संलग्न†**[1] है। जी हॉ।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डल संयोजक के पद पर शिक्षा विभाग के भी करीब 59 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हैं। जिनको अभी युक्तियुक्तकरण में आधे जिलों में लिया गया है और आधे जिलों में नहीं लिया गया है तो इसकी असमानता के क्या कारण हैं ? माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी देने की कृपा करें।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कुछ जिलों में युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षकीय संवर्ग के जो मण्डल संयोजक बने थे, उनको युक्तियुक्तकरण के तहत तो शामिल किया गया है। कुछ जिलों में ट्रायबल विभाग में मंडल संयोजक बनने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन होकर काम करते हैं, लेकिन उनकी जो मूल पद स्थापना है, वह शिक्षा विभाग की है। कई जिलों में इसे छोड़ दिया गया है। हम इसके लिए पत्राचार भी कर रहे हैं और अलग से विभागीय तौर पर पूरे प्रदेश में मण्डल संयोजक की भर्ती अपने विभागीय स्तर से करने वाले हैं। हम इसकी अनुमति लेकर शीघ्र ही मण्डल संयोजक की भर्ती करेंगे।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डल संयोजक की संख्या अभी काफी कम है, जिससे विभागीय संचालन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके, शीघ्र ही आप इसकी पूर्ति करवाने की कृपा करें।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही हमारी वरिष्ठ सदस्य ने विभाग का ध्यानाकर्षित कराया है और इस दिशा में हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। चूंकि हमारी जो पद रिक्तियां हैं, उसकी वजह से हमारा संचालन व व्यवस्थापन भी अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए जब हम विभागीय स्तर से अगली भर्ती करेंगे और पदोन्नति से कुछ पद भरेंगे तो उस स्थिति में हमारे

[1]† परिशिष्ट ''एक''

पूरे प्रदेश में मंडल संयोजक के जो 85 पद हैं, जब वह मिल जाएंगे तो हम हमारा संचालन अच्छे ढंग से कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- क्रमांक-2, उमेश पटेल जी।

श्री दिलीप लहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। वह संतुष्ट हो गई हैं और आप बीच में कहां से कूद रहे हैं ? (हंसी) प्रश्नकर्ता बैठ गई हैं। आगे आप स्वयं प्रश्न लगाइये न। चलिये, उमेश जी।

प्रदेश में डीएपी खाद की कमी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

2. (*क्र. 499) श्री उमेश पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में डीएपी खाद की कितनी मांग(टारगेट) रहती है और कितनी आपूर्ति(सप्लाई) हुई है? जानकारी जिलावार दें? क्या डीएपी खाद की कमी हुई है? यदि हाँ तो सरकार किसानों को डीएपी खाद किस कारण से उपलब्ध नहीं करा पा रही है? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :खरीफ 2025 मे प्रदेश के लिए भारत सरकार द्वारा डीएपी 3,10,000 मे.टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह अप्रैल से जून 2025 तक 2,19,100 मे.टन का सप्लाई प्लान भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी किया गया गया है, जिसकेविरुद्ध दिनाक 30.06.2025 तक 1,08,155 में टन की आपूर्ति हुई है। पूर्व मौसम (रबी 2024-25) का बचत स्कंध 40,746 मे. टन मिलाकर कुल 148900 मे.टन का भंडारण हुआ है। जिलावार डीएपी उर्वरक के लक्ष्य की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ**[2] एवं आपूर्ति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। जी हाँ, वर्तमान खरीफ मौसम मे, दिनांक 30.06.2025 तक जारी सप्लाई प्लान के विरुद्ध कम आपूर्ति परिलक्षित हो रही है। इस परिपेक्ष्य में कृषकों हेतु वैकल्पिक फॉस्फेटिक उर्वरकों का भंडारण कराया जा रहा है तथा इनके उपयोग हेतु कृषकों के मध्य प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025 में प्रदेश के लिए 3,10,000 मीट्रिक टन डी.ए.पी. का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसकी अपेक्षा 1,48,000 मीट्रिक टन का ही भण्डारण हुआ है। यहां जून माह तक लगभग आधे से भी कम भण्डारण हुआ है। इसलिए आपूर्ति करने का क्या प्लान है ?

श्री राम विचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आपूर्ति करने के लिए लगातार विभागीय स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से लगातार संबंधित विभाग से, खासकर भारत

[2] परिशिष्ट "दो"

सरकार से सतत् सम्पर्क में हैं। जो-जो आपर्तिकर्ता कम्पनियां हैं, उन कम्पनियों से भी हमारे विभागीय अधिकारी सतत् सम्पर्क में हैं। किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, प्रदेश भर में खासकर डी.ए.पी. को लेकर जो परिस्थितियां बनी हैं, मैं इस बारे में पहले भी अपना वक्तव्य दे चुका हूं। मैं आज भी आपके समक्ष यह बताना चाहूंगा कि बहुत सी जगहों में डी.ए.पी. की कमी थी, उन जगहों में दूसरे खाद को भी प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ डी.ए.पी. नैनो भी आ गया है, उसका भी उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जैसे-जैसे लोगों तक पहुंच रहा है, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। हमारा उर्वरक आपूर्ति का जो प्लान है, वह भी हमारे पास आ गया है। उसके तहत एक-दो दिनों के अंदर बहुत सी जगहों में, जहां रैक पाईंट है, वहां पर पहुंचने वाला है, मैं सदन को यह भी अवगत कराता हूं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जून तक जो सप्लाई है, वह आधा ही सप्लाई हुआ है। अभी और कितना आने वाला है, यह भी बता दीजिये ? जब आप बता ही रहे हैं कि दो-तीन दिनों में रैक पहुंचने वाला है, वह कितनी मात्रा में है, वह बता दीजिये ?

श्री राम विचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न जगहों में 20 जुलाई तक 18,885 मीट्रिक टन आपूर्ति होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आने वाले 5 दिनों में, मैंने अभी जैसा बताया कि 18,885 मीट्रिक टन का कुल 14 रैक प्राप्त होगा। जिसमें एन.पी.के. है, डी.ए.पी. भी है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आप यह भी बता दीजियेगा कि डी.ए.पी. कितना रहेगा ? अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी डी.ए.पी. की आवश्यकता है।

श्री राम विचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अलग से बता दूंगा। खासकर खरसिया में 17.07.25 तक 718 मीट्रिक टन डी.ए.पी. पहुंच जायेगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, कुल उर्वरक की मात्रा 18,885 मीट्रिक टन पहुंचने वाला है, बता रहे हैं। जून, 25 तक कुल भण्डारण 1.48 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जबकि हमारा भण्डारण लक्ष्य 3.10 लाख मीट्रिक टन है। पिछले वर्ष 3.40 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण हुआ था। आप आधे से भी कम खाद में कैसे काम चलायेंगे ? जब हमारा भण्डारण कम हुआ है, आधा हुआ है, 50 प्रतिशत भी नहीं हो पाया है तो आपने उसमें से कितना प्रतिशत सोसायटी को दिया है और कितना प्रतिशत व्यापारियों को दिया है ? यह बता दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है अभी यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है, फिर आ जायेगा।

श्री राम कुमार यादव :- 2048 तक आ जाही, कह दे।

श्री राम विचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे देता हूं। खरीफ 2025 में डी.ए.पी. भण्डारण का लक्ष्य 3.10 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन 30 जून, 2025 तक

डी.ए.पी. भण्डारण लक्ष्य के विरूद्ध 1.08 लाख मीट्रिक टन हुआ था। पिछला पुराना 40,746 मीट्रिक टन बचत था। इस तरह से 1,48,900 मीट्रिक टन भण्डारण हुआ था। 14 जुलाई, 2025 की स्थिति में डी.ए.पी. 1,63,517 मीट्रिक टन का भण्डारण हुआ है। यह बात सही है कि पूरे प्रदेश में डी.ए.पी. की कमी है। बल्कि हमारे प्रदेश में ही नहीं वरन देश भर में यह स्थिति बनी है। मैं माननीय सदन, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि उसी को देखते हुए नैनो डी.ए.पी. का प्रचलन कैसे बढ़े, इसको लेकर एक अभियान चलाया गया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, नैनो डी.ए.पी. की बात नहीं चल रही है। मैं सिर्फ डी.ए.पी. की बात कर रहा हूं। जो पिछले साल का भंडारण बचा हुआ था, यदि उसको जोड़ा जाये और डी.ए.पी. की जो टारगेट है, उसकी अपेक्षा सिर्फ 50 प्रतिशत ही भण्डारण हुआ है। मेरा बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न है कि 50 प्रतिशत भण्डारण हुआ है तो आपने कितना प्रतिशत सोसायटियों को दिया है और कितना प्रतिशत व्यापारियों को दिया है?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने 60 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र को एवं 40 प्रतिशत निजी क्षेत्र को दिया है। कमेटी की पिछली बैठक में हमने यह तय किया था कि हम जो डी.ए.पी. खाद निजी क्षेत्र में दे रहे हैं, उसे छोड़कर सीधे सहकारी क्षेत्र को ही आपूर्ति करें। तब से लेकर अभी तक हम लोग सहकारी क्षेत्र को ही डी.ए.पी. खाद आवंटित कर रहे हैं। अब यह समस्या सबको मालूम है कि डी.ए.पी. खाद की कमी है, बाकी इसके अलावा किसी खाद की कमी नहीं है। सभी जगहों पर पर्याप्त खाद है। रही बात तो देर हो सकती है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों को ही डी.ए.पी. खाद मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों को ही खाद दिया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आ रहा है। आप लोग बैठ जाईये। आप लोग जवाब तो सुनिए।

श्री दिलीप लहरिया :- अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों को ही खाद दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकर्ता स्वयं खड़े हैं। मंत्री जी से पूरा का पूरा जवाब आ रहा है। माननीय मंत्री जी आपके चिंता का समाधान कर रहे हैं। इसलिए आप जल्दबाजी न करें। माननीय मंत्री जी, मैं भी आपसे एक आग्रह करता हूं कि यदि आप डी.ए.पी. खाद को किसानों को शत् प्रतिशत देने की व्यवस्था कर देंगे तो आने वाले समय में एक बेहतर व्यवस्था होगी। आप निजी क्षेत्र को मत दीजिये, आप इतना चाहते हैं। आप सिर्फ यह जवाब दे दीजिये।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही मैं आपकी भावना और सदन की भावना से पूरी तरह से सहमत हूं एवं हमारी सरकार भी सहमत है। हमने यह व्यवस्था किया है कि आने वाले समय में जितने भी डी.ए.पी. खाद आएगी, उसको पूरा सहकारी क्षेत्र के माध्यम से किसानों को आपूर्ति

करायेंगे। हमने इस तरह की व्यवस्था सभी जगहों में किया है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि अभी एक हफ्ते के अंदर में बहुत सारी कमियां हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। वैसे भी हमारा कृषि विभाग प्लान देते हैं कि हमारे किसानों भाइयों के लिए प्रदेश में कितनी आवश्यकता है, उसके लिए हम काम करते हैं। हमको मार्कफेड के माध्यम से आपूर्ति होती है। हम मार्कफेड के प्लान से ही चलते हैं। उनके माध्यम से हमें जो आपूर्ति होती है, उसी को हम किसानों तक पहुंचाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। चलिये, आखिरी प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह माना कि पहले 60 प्रतिशत डी.ए.पी. सोसायटियों में देते थे और 40 प्रतिशत व्यापारियों को दे रहे थे, लेकिन अब जाकर उसको बदलेंगे। मेरा यह कहना है कि क्या आपके पास ऐसी कोई शिकायत पहुंची है कि व्यापारी 1800, 1900 रूपये में डी.ए.पी. खाद बेच रहा है? यदि आपको शिकायत प्राप्त हुई है तो आपने कहां-कहां पर कार्रवाई की है, आपने किन-किन दुकानों को सील किया है?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की शिकायतें प्रदेश भर में आते रहते हैं। मैं उनको Explain कर देता हूं। आपने एक तरह से आरोप लगाया कि आप निजी क्षेत्र को कैसे डी.ए.पी. खाद दे रहे हैं? निजी क्षेत्र को देने की आज की परम्परा नहीं है। हमने इस परिपाटी की शुरूआत नहीं की थी। यह परम्परा पहले से चली आ रही है, उसके अनुसार हम पहुंचा रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की स्थिति इससे पहले कभी पैदा नहीं हुई थी। मंत्री जी, पहले कभी भी 50 प्रतिशत भण्डारण नहीं हुआ था। यह स्पेशल कंडीशन है। इस तरह की स्थिति प्रदेश में कभी पैदा नहीं हुई थी कि हमारे पास सिर्फ 50 प्रतिशत भण्डारण है। इसलिए आप इस कंडीशन को बाकी सालों के साथ तुलना मत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। जवाब सुन लीजिए। मंत्री जी, आप बोलिये।

श्री रामविचार नेताम :- आप वरिष्ठ हैं। मैं उत्तर दे रहा हूं तो आप सुनने का भी धैर्य रखिये। अध्यक्ष महोदय, हमने खरीफ वर्ष 2025 में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण के तहत 4,000 नमूनों के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 2,384 नमूने लेकर 1562 नमूनों का परीक्षण किया, जिसमें 1499 मानक एवं 63 नमूने अमानक पाये गये। अमानक नमूनों के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं । (व्यवधान) 60 प्रतिशत कोई सरकारी दुकानों में नहीं रहा है, केवल और केवल निजी दुकानों में ...(व्यवधान) शासकीय दुकानों में धरातल में कहीं नहीं है । आप यह सदन को बताईये, जिलेवार बता दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- आप एक प्रश्न पूछ लीजिए । बैठिये । आप एक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि आपके निजी क्षेत्र में लक्ष्य के विरूद्ध आपने कितना दिया और सहकारी क्षेत्र में लक्ष्य के विरूद्ध कितना दिया ? आपके ही क्वेश्चन में भूपेश जी का सातवॉ नंबर पर है । यह प्रमाणित है कि निजी क्षेत्र में लक्ष्य के विरूद्ध अधिक दिये हो और सहकारी क्षेत्र में लक्ष्य के विरूद्ध आधा भी नहीं दिये हो । अध्यक्ष महोदय, यह प्रमाणित है । आप अगर सातवॉ नंबर क्वेश्चन में भूपेश बघेल जी का देखेंगे तो स्पष्ट है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, यह प्रमाणित है । (शेम-शेम की आवाज)

श्री रामविचार नेताम :- शेम-शेम करने के पहले आप सुनिये तो ?

श्री दलेश्वर साहू :- मेरा यह आखिरी क्वेश्चन है, अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न बचा है...।

श्री रामविचार नेताम :- आपके प्रश्न का उत्तर आ गया ।

श्री दलेश्वर साहू :- निजी क्षेत्र में नियंत्रक किसके हाथ में है, यह मार्कफेड के हाथों में है या कृषि विभाग के हाथों में है या अपेक्स के हाथों में है ? यह बता दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिये ।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, आपने जानना चाहा और बिना प्रश्न का उत्तर सुने आपने आरोप लगा दिया । मैंने यह पहले बताया है कि यह व्यवस्था हमारे आने के बाद शुरू नहीं हुई है, यह व्यवस्था आपके समय से भी चली आ रही है। अध्यक्ष महोदय, उसी के तहत...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी....।

श्री रामविचार नेताम :- सुन लीजिए ।

श्री देवेन्द्र यादव :- यही बोलकर...।

श्री रामविचार नेताम :- जहॉ तक डीएपी का कुल सहकारी क्षेत्र की बात है, हम 64 परशेंट सहकारी क्षेत्र को उपलब्ध कराये हैं और 36 परशेंट मात्र निजी क्षेत्र को दिये हैं । अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र को जो लगातार प्रोवाईड किये हैं, उसमें 1800, 1900, 2000, 2100 में आज यह खाद बिक रहा है। हम लोगों के द्वारा धनांगर में जब आपके तहसीलदार, सहकारी बैंक के अधिकारी, डी.एम.ओ. सब लोग उपस्थित थे, तब हमने शिकायत की थी कि फलाना दुकान में हो रहा है, उसके बाद भी उन दुकानों में कार्यवाही नहीं की गई है । यह आप लोगों का शासन है कि जब किसानों को सामने में नहीं मिल रहा है, भण्डारण लगातार कम होने के बाद आप अगले सालों के साथ कंपेयर कर रहे हैं । कभी भी डीएपी की यह स्थिति नहीं थी कि 50 परशेंट भण्डारण हुआ । सारे विधायक इस बात से परेशान है कि डीएपी की कमी उस क्षेत्र में हो रही है । आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पूरा का पूरा करायें । आप उसको उठाईये और सहकारी में दीजिए, जितना भी निजी क्षेत्र में दे दिये हैं, उसको उठाकर कर दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उमेंश जी, आपके समय में कमी क्यों नहीं होती थी, मालूम है ? राजनांदगांव में नकली खाद का कारखाना बनवाया था ।

श्री उमेश पटेल :- रहने दीजिए, आप अलग-अलग बात करेंगे । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है, यहां सदन के सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि उनके क्षेत्र में डीएपी की कमी है । भले ही पार्टी की प्रतिबद्धता ...।(व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ...। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- (व्यवधान) आप सोसायटी में ले रहे हैं क्या ? (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये गये)

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- असत्य आरोप मत लगाईए । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कोई असत्य आरोप नहीं लगा रहा है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने सदन में गलत बात की । हमारे शासनकाल में राजनांदगांव में यूरिया न केवल पकड़ा गया, बल्कि उसमें कार्रवाई की गई । उसके बाद नकली यूरिया बिकना बंद हो गया । जब आपकी सरकार थी तो वहां हर साल नकली यूरिया पकड़ा जाता था । (शेम-शेम की आवाज) (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके कार्यकाल में यूरिया की हमेशा कमी रही, नकली यूरिया बिकता था । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- आप किसानों के हित में कभी काम नहीं करते, हमेशा किसानों का विरोध करते हैं । (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा निरंतर नारे लगाए गए)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित ।

(11.23 से 11.28 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय:
11.28 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उमेश पटेल जी ने प्रश्न किया था कि कितना डीएपी आया है। आपने उत्तर दिया है कि 3,10,000 मे.टन के विरूद्ध 1,08,155 मे. टन आया है। इनका सीधा-सीधा प्रश्न था कि इस 1,08,155 मे. टन में से आपने निजी क्षेत्र को कितना दिया और सोसायटियों को कितना दिया? प्रश्न यही है कि आप कृपा करके ये बता दें कि 1,08,155 मे. टन में आपने सोसायटियों को कितना दिया और निजी क्षेत्र को कितना दिया और किस-किस जिले में

कितना दिया? ऐसा तो नहीं है कि आप लक्ष्य से ज्यादा दे दिए या कम दे दिए?श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से नेता जी, आपका ध्यान कहीं और था। मैंने ये बताया कि 64% हम सरकारी क्षेत्र को दिए।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने 1,08,155 मे. टन का bifurcation पूछा, आप परसेंट में मत बताईए। आप परसेंट में मत बताइए, मैं तो आंकड़े में पूछ रहा हूं।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं। वह तो जून तक की बात थी, अभी तक...।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े में पूछ रहा हूं कि कितना-कितना दिए?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं वह भी बता रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, हम वही तो पूछ रहे हैं।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, आप सुनिए तो, आप इधर क्यों देख रहे हैं, उधर देखिए। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं उधर ही देख लेता हूं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- डर लगता है क्या?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, देखिए, कैसे कहते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ मुखातिब होकर प्रश्न कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी उसका जिलेवार कितना लक्ष्य निर्धारित था और कितना वह निजी क्षेत्र को दिए? लक्ष्य से ज्यादा तो नहीं दिए? ये कालाबाजारी क्यों हो रही है यही प्रश्न है और लोग ज्यादा कीमत में खरीदने के लिए क्यों बाध्य हैं, यही प्रश्न है?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि अभी तक ओव्हर ऑल 1 लाख 72 हजार मीट्रिक टन डी.ए.पी. आ गया है। आपको जो पहले 1 लाख का कुछ आंकड़ा दिया गया था, वह जून तक का था लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें 1 लाख 72 हजार मीट्रिक टन डी.ए.पी. आ गया है, जिसमें हमें 5 दिनों के अंदर 18,855 मीट्रिक टन और प्राप्त हो जायेगा। मैं समझता हूं कि धीरे-धीरे इसकी पूरी आपूर्ति हो जायेगी और इसके बावजूद मैंने यह भी बताया कि यह डी.ए.पी. खाद सिर्फ हमारे यहां की समस्या नहीं है, यह एक तरह से वैश्विक समस्या है और उसके चलते इस तरह का अनियमित भण्डारण कर पा रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर अभी तक नहीं आया है। मैं खड़े होकर आपकी तरफ देखकर ही बोल रहा हूं।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- वह पूरा उत्तर दे रहे हैं। आप पूरा जवाब सुन लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा आप पूरा जवाब दे दीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह की बात है तो उसका समाधान करने के लिए हम लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- खातू तो दे नइ सकत हे (व्यवधान)।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, हमें भाषण नहीं चाहिए। हमें सिर्फ खाद चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- प्रधानमंत्री क्या विश्वगुरू ... (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- खातू बर बात करव। हमन ला प्रधानमंत्री से क्या मतलब हे ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमको उत्तर दीजिए ना।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह निजी क्षेत्रों में 36 प्रतिशत बोल जरूर रहे हैं लेकिन (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, यह काला बाजारी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निजी क्षेत्र को दे दिये हैं और यह सदन को गलत आंकड़ा दे रहे हैं कि 64 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने निजी संस्थान को दिया है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अडानी, अंबानी को (व्यवधान)। प्राईवेट को दे देवय हव। गरीब आदमी हर 500-600 रूपये .. (व्यवधान)

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, हमने उसकी पूर्ति करने के लिए सुपर खाद में पोटाश जैसे खादों की मात्रा को बढ़ाया है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह कालाबाजारी बंद करें। (व्यवधान) 1300 का डी.ए.पी. खाद 1900 रूपये में मिल रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, ये मन किसान मन ला खातू नइ दे सकत हवय का (व्यवधान)

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ यही नहीं बल्कि कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों ने जो देखा (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ये सरकार खातू नइ दे सकत हे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, ठीक है। 16-17 मिनट हो गये हैं और पूरा जवाब आ गया है। आपने जितने प्रश्न करना चाहते हैं वह हो गये हैं। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, मूल सवाल का जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आपने मंत्री जी का जवाब सुन लिया और उन्होंने पूरा जवाब दे दिया। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब प्रश्न संख्या 3 लिया जाये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, जवाब संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सही जवाब नहीं दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- राजेश अग्रवाल जी, आप प्रश्न करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाये गये)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में प्रवेश करते हुए लगातार शासन विरोधी नारे लगाये गये)

सरगुजा जिले में फर्जी तरीके से वन अधिकार पत्र प्राप्त कर वन भूमि पर अवैध कब्जा

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

3. (*क्र. 864) श्री राजेश अग्रवाल :- क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सरगुजा जिले में कितने व्यक्तियों के पास कितने हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा है? **(ख)** क्या जिले में अवैध वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने हेतु कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? यदि हाँ, तो अब तक कितने प्रकरणों में निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है और कितने प्रकरण लंबित हैं? **(ग)** शासन द्वारा अवैध कब्जों को हटाने, फर्जी वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने एवं वास्तविक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु क्या नीति या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- (क) सरगुजा जिले में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वितरित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों के आधार पर 26830 वन अधिकार पत्रधारकों के पास 14183.954 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है। **(ख)** जी नहीं, अपितु जिले में प्राप्त शिकायतों के आधार पर एवं त्रुटिपूर्ण जारी किए गए कुल 2079 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं धारा 3(1) के तहत 01 सामुदायिक वन अधिकार पत्र जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के अनुमोदन उपरांत निरस्त किए गए हैं। निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है।**(ग)** वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के आधार पर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की कार्यवाही की जाती है। फर्जी वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने के संबंध में भारत सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है एवं तत्संबंध में भारत सरकार से प्राप्त निर्देश अनुसार विधिक कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आदिम जाति कल्याण मंत्री जी से है। मेरा प्रश्न यह था कि कितने व्यक्तियों के पास कितने हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा है ? क्या जिले में

अवैध वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने हेतु कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है ? अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आ गया है। मेरा अगला प्रश्न यह है कि वन अधिकार पत्र अहस्तांतरित होने के बावजूद भोले-भाले लोगों से स्टाम्प में लिखवाकर उसमें अन्य व्यक्ति काबिज है और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की योजना है ? माननीय मंत्री जी इसे बताने का कष्ट करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए लगातार शासन विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप जवाब दीजिये।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर नारे लगाए गए)

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था कि वन भूमि पर जो पट्टे दिये गये हैं हमने इस बारे में उत्तर दिया है। अभी तक जो गलत तरीके से पट्टे दिये गये थे, उसमें अभी तक जो प्रकरण है उसमें हमने जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक, जिसमें निरस्तीकरण की अनुशंसा की गई है। इसमें व्यक्तिगत जो पट्टे दिये गये थे। गैर वन भूमि होने के कारण, उसमें से 830 और इसी प्रकार से गैर वन भूमि होने के कारण दिनांक 29.03.2016 को 225 लोगों का पट्टा निरस्त किया गया। वहां 880 पट्टे गैर वन भूमि होने के कारण, दिनांक 17.05.2016 की बैठक में निरस्त किया गया। इसी प्रकार से जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 20.01.2017 को गैर वन भूमि होने के कारण पट्टा निरस्त किया गया। इसी प्रकार से पूर्व में कब्जा न होने के कारण 147 लोगों को दिनांक 10.11.2017 की बैठक में पट्टा निरस्त किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर, 2079 लोगों का पट्टा निरस्त किया गया।

समय
11.56 बजे

गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1. डॉ. चरणदास महंत
2. श्री भूपेश बघेल
3. श्रीमती अनिला भेंडिया
4. श्री उमेश पटेल
5. श्री लखेश्वर बघेल
6. श्री दलेश्वर साहू

7. श्री भोलाराम साहू
8. श्री लालजीत सिंह राठिया
9. श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े
10. श्री दिलीप लहरिया
11. श्री रामकुमार यादव
12. श्री द्वारिकाधीश यादव
13. श्रीमती अंबिका मरकाम
14. श्रीमती संगीता सिन्हा
15. श्री देवेन्द्र यादव
16. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
17. श्री इन्द्रशाह मण्डावी
18. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
19. श्री विक्रम मण्डावी
20. श्रीमती विद्यावती सिदार
21. श्री फूलसिंह राठिया
22. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
23. श्री ब्यास कश्यप
24. श्रीमती शेषराज हरवंश
25. श्रीमती चातुरी नंद
26. श्रीमती कविता प्राण लहरे
27. श्री संदीप साहू
28. श्री इन्द्र साव
29. श्री जनक ध्रुव
30. श्री ओंकार साहू
31. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

मेरा निलंबित सदस्यों से आग्रह है कि कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर नारे लगाए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय

11.38 बजे **तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)**

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब [xx] कब तक बहाते रहेंगे? आप लोग [xx] बहाना बंद करिये। पूरे प्रदेश की जनता आपकी [xx] को देख रही है। (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब तो आ गया है। मेरा अगला प्रश्न था वन अधिकार पत्र अहस्तांतरित है, के बावजूद भोले-भाले लोगों से स्टाम्प पेपर में लिखवाकर, अन्य व्यक्ति काबिज हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

उप मुख्यमंत्री (गृह)(श्री विजय शर्मा):- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निलंबन की घोषणा के उपरान्त भी, अगर गर्भगृह में नारे लगाये जाएंगे तो यह उचित व्यवस्था नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय :- विपक्ष के सभी सदस्य निलंबित हो गये हैं, आप सबसे आग्रह है कि कृपया कार्यवाही चलने में सहयोग करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर नारे लगाये गये)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री धरमलाल कौशिक :- राजेश अग्रवाल जी, प्रश्न करिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या नई परंपरा है और यदि यह परंपरा है तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। .. (व्यवधान)

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वन अधिकार पत्र अहस्तांतरित है के बावजूद भोले-भाले लोगों से स्टांप में लिखवाकर अन्य व्यक्ति काबिज है, उनके खिलाफ कार्रवाई की क्या योजना है?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में निरंतर नारे लगाये गये।)

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन अधिकार के पट्टे को कहीं भी हस्तांतरण नहीं किया जा सकता और यदि कहीं पर हस्तांतरण किया गया है और कहीं पर नीलामी या बिक्री किया गया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या शासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सभी वन अधिकार पत्रों का भौतिक सत्यापन कर वास्तविकता की जांय करायें?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर नारे लगाये गये)

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। इस दिशा में मैं खुद भी आगे बढ़करके इस विषय को लेकर के हम आगे बढ़े हैं और हमने विभाग को निर्देश दिया है कि इसका भौतिक सत्यापन उन पट्टों के आधार पर किया जाये। मैं समझता हूं कि विभागीय अधिकारियों के साथ जब बैठक होगी तो इसमें हम तय करके इसको सुनिश्चित करेंगे।

श्री राजेश अग्रवाल :- इस प्रकार के फर्जी मामलों की रोकथाम हेतु कोई तकनीकी प्लेटफार्म की आवश्यकता है, जिससे सत्यापन प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू हो सके, क्या इस प्रकार की शासन की कोई योजना है ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही मैं इसका परीक्षण कराऊंगा।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर नारे लगाये गये)

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत मकानों की बिक्री

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (*क्र. 25) श्री अजय चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत 15 जून, 2025 की स्थिति में किन-किन योजनाओं के माध्यम से कितने मकान बनाये गये ? उनमें से कितने मकानों की बिक्री हुयी है और कितने मकान शेष हैं और कब से बिक्री नहीं हुई? ऐसे कितने मकान हैं, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और बिक्री नहीं होने की वजह से जर्जर होने की स्थिति में हैं और उनके जीर्णोद्धार में कितनी लागत आयेगी? जानकारी मकान के प्रकार सहित जिलावार बतायें? **(ख)** क्या उक्त खाली मकानों की बिक्री ना होने के संबंध में विभाग द्वारा विश्लेषण किया गया है ? यदि हां तो किन-किन कारणों से बिक्री नहीं हो रही है? उसके लिये क्या कार्ययोजना अब तक बनायी गयी है तथा उस कार्ययोजना के तहत् अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुये?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत 15 जून, 2025 की स्थिति में प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना, सामान्य आवास योजना के अंतर्गत कुल 80,870 मकान बनाये गये है, उनमें से कुल 78,503 मकानों की बिक्री हुयी है और कुल 2,367 मकान शेष है, जिनके बिक्री नहीं होने के अवधि का मकान के प्रकार की जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के बिक्री हेतु शेष भवन जर्जर नहीं है अतः जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं है। मकानों को " जहाँ है जैसा हैं" में एकमुश्त निपटान अंतर्गत छूट के साथ बिक्री किया जा रहा है । मकान के प्रकार सहित

जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** जी, हां। विभाग द्वारा उक्त खाली मकानों की बिक्री ना होने के संबंध में विश्लेषण किया गया है। मकानों के बिक्री नहीं होने का मुख्य कारण विशेषतः भवन के मांग में कमी, कोविड-19 में कोरोना महामारी, आबंटियों द्वारा भवन का पंजीयन पश्चात् पुनः निरस्त करना, फ्लैट /बहुमंजिला भवनों हेतु जनता का कम रुझान इत्यादि हैं। मकानों के बिक्री के लिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19/01/2025 को निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए चिन्हांकित आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों को एकमुश्त निपटान हेतु वन टाईम सेटलमेंट लागत मूल्य (बेस रेट) में क्रमशः 10, 20 एवं 30 प्रतिशत की छूट के आधार पर निर्धारित शर्तों के साथ विक्रय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कार्ययोजना के तहत् छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा दिनांक 01/07/25 तक कुल 920 संपत्ति राशि रू. 139.47 करोड़ के बिक्री किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री महोदय, आपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना, सामान्य आवास योजना के अंतर्गत 80,270 मकान बनाये गये हैं। आपकी website में 1 लाख 2 हजार 113 मकान हैं। आपने उत्तर में यहां बताया है कि मकानों को "जहॉ है जैसा है" में एकमुश्त निपटान किया गया है। ये "जहॉ है जैसा है" इसकी परिभाषा क्या है? इसको किन लोगों ने परिभाषित किया है और सभी वर्गों के मकान के उसके क्या मूल्य तय किये गये?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर नारे लगाये गये)

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि एक तो जो 80,000 आवासों का जिक्र है उसमें व्यावसायिक चीजें या अन्य योजनाओं की चीजें उसमें सम्मिलित नहीं हैं इसलिए website में संख्या का अंतर हो सकता है और जो जैसी स्थिति है वैसी की जो स्थिति है, उसमें कोई extra maintenance करके उसको बेचने का प्रावधान नहीं किये हैं। वह जैसी स्थिति में है, वैसी स्थिति में उसको बेचा जायेगा और वैसी स्थिति में उसको बेचकरके जो भी रेट आये, उसके आधार पर उसमें काम किया जायेगा। जो ओ.टी.एस. स्कीम लागू की गई है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो लागू की गई है, उसमें एज टीज जैसे के तैसे की स्थिति में उसको बेचना है। जो concession दिया गया है, वह मैं सम्माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। ओ.टी.एस. 2, पहले एक ओ.टी.एस. पिछली सरकार के समय में 17 सिंतबर 2021 को आया था। 17 सिंतबर 2021 से 31 मार्च 2024 तक ये लागू थी। उसमें जो भी प्रोजेक्ट आये थे, घर आये थे, वह और पुराने थे। इसलिए ओ.टी.एस. 2 में जो शामिल नहीं थे, नये संपत्ति जो शामिल हुए हैं, उन पर base rate पर 10 प्रतिशत की छूट दी गई है उसमें base rate पर 10 प्रतिशत की छूट दी गई है । जो 10 वर्ष से अधिक समय से रिक्त संपत्तियां हैं उस पर 30 प्रतिशत की छूट दी गई है, जो 5 वर्ष से अधिक समय

से रिक्त हैं लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक संपत्ति वहां पर खाली है, अगर 20 प्रतिशत से अधिक संपत्ति खाली है और 5 वर्ष से अधिक का है उसमें 30 प्रतिशत की छूट दी गई है और 5 वर्ष से अधिक समय से जो रिक्त हैं और 20 प्रतिशत से कम संपत्ति वहां खाली है उस पर 20 प्रतिशत की छूट दी गई है । यह छूट base price पर दी गई है, यह टेंडर निकालने का base price है उसमें टेंडर निकलता है और जो टेंडर में एच-1 आता है मतलब यह केवल ऐसा नहीं है कि flat छूट दे रहे हैं उसके base रेट पर छूट है उसके बाद टेंडर होगा और टेंडर पर जो highest बीट कर रहा है उसको दिया जा रहा है ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में निरंतर शासन विरोधी नारे लगाये गये)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि कोई मकान जर्जर नहीं है, जब जर्जर नहीं है तो आपने छूट की योजना क्यों लागू की ? क्या आपके मकान बिक नहीं रहे हैं और बिक नहीं रहे हैं, अभी भी बकाया हैं तो नहीं बिकने और छूट में बिकने के बाद गृह निर्माण मंडल को कितने की क्षति हुई और अभी कितनी परियोजनाएं उसके बाद नहीं चल रही हैं ? मकान नहीं बिकने के बाद भी कितनी परियोजनाएं नहीं चल रही हैं ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी ओ.टी.एस. (OTS) चल रहा है उसका काफी अच्छा प्रतिशाद मिला है । जो पहले ओ.टी.एस. (OTS) आया था उसमें 506 मकानों का आवंटन हुआ था और 511 करोड़ रूपये की राशि आयी थी । अभी जो ओ.टी.एस. टू (OTS 2) आया है उसमें 995 मकानों का आवंटन हुआ है और इसमें पिछले चार महीनों में लगभग 147 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर शासन विरोधी नारे लगाये गये)

श्री अजय चंद्राकर :- क्षति ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो क्षति की कुल राशि है, मैं सम्माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मकान नहीं बिके हैं वह E.W.S. के कितने हैं, जो नये मकान बने हैं ? L.I.G. कितने हैं, H.I.G. कितने हैं और M.I.G. कितने हैं ? और आप जो नया Project चला रहे हैं उसमें कौन सी क्वालिटी का मकान H.I.G. कितना बनना है ? M.I.G. कितना बनना है या L.I.G. कितना बनना है ? इसका आधार क्या है संख्या ? आपको E.W.S. के मकान बनाना है, L.I.G. बनाना है, H.I.G. बनाना है, M.I.G. बनाना है तो किसी प्रोजेक्ट में कितने मकान बनने हैं । आप किस आधार पर उसकी संख्या का निर्णय लेते हैं ? जब वह बिक नहीं रहे हैं तो उसके निर्णय लेने का आधार क्या है ?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर शासन विरोधी नारे लगाये गये)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खाली मकान हैं, जो बिक नहीं पा रहे हैं । कई मकान ऐसे हैं जो 10 वर्षों से नहीं बिके हैं । जैसा कि सम्माननीय सदस्य ने अवगत कराया है, कई मकान जो 5 साल से भी नहीं बिके हैं उसमें mostly अर्थात् मैं पूरी संख्या दे दूंगा, पूरी टेबल दे दूंगा कि किस श्रेणी के कितने मकान खाली हैं लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सम्मानीय सदस्य की चिंता जायज है कि जब डिमांड होता नहीं है तो बना क्यों दिया जाता है ? उनकी चिंता बहुत जायज है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा, सम्माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद हमने एक पॉलिसी डिसाईड की है कि किसी भी project का टेंडर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक उसमें 60 प्रतिशत प्री बुकिंग न हो जाए, हम तब तक उसका टेंडर नहीं लगाएंगे और पहले project लॉन्च करने के 3 महीने के अंदर ही अगर 30 प्रतिशत प्री बुकिंग हो जाती है तो टेंडर लगा सकते हैं । हमने यह नई पॉलिसी एडॉप्ट की है ताकि भविष्य में 10 साल तक मकान न मिले यह स्थिति उत्पन्न न हो ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर शासन विरोधी नारे लगाये गये)

श्री अजय चंद्राकर :- कौन सा मकान ? जैसे आप Project ला रहे हैं उसमें E.W.S. का कितना बनेगा ? L.I.G. कितना बनेगा ? H.I.G. कितने बनेंगे और M.I.G. कितने बनेंगे, इसका निर्णय किस आधार पर लेते हैं ? आपके पास क्या Data, क्या आंकड़ा है ? जिसके आधार पर आप यह निर्णय लेते हैं कि इस Project में इतना H.I.G. बनेगा, इतना M.I.G. बनेगा, इतना E.W.S. बनेगा, इतना L.I.G. बनेगा । इसके निर्णय लेने का आधार क्या है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड जो डिमांड का सर्वे कराने का काम करती है, उसके आधार पर करते थे, परंतु पहले जिस तरह की पारिपाटी रही होगी, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता। परंतु जो कॉलोनाइजर हैं, कॉलोनी हैं, उनमें 15 परसेंट एरिया ई.डब्ल्यू.एस. के लिए सुरक्षित करने का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो एक्ट है, 15 प्रतिशत एरिया, उसमें वह प्रावधान है। कोई भी कॉलोनी बनती है तो 15 प्रतिशत क्षेत्र उसमें खाली मतलब ई.डब्ल्यू.एस. के लिए रखा जाता है, यह प्रावधान है। परंतु मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा, चाहे वह कोई भी श्रेणी का मकान हो, कोई भी कैटेगिरी का मकान हो, बिना 60 परसेंट प्री बुकिंग के उसका टेंडर नहीं लगाया जाएगा और प्रथम तीन महीने में अगर 30 प्रतिशत की बुकिंग नहीं होती तो टेंडर नहीं लगाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आगे यह प्रावधान करेंगे कि जिस वर्ग के मकान की डिमांड हो, उसको प्राथमिकता के आधार पर बनाएंगे या उसके लिए कोई नीति बनाएंगे। इसका प्रावधान अपनी नीतियों में, कार्यक्रमों में करेंगे क्या?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हाउसिंग बोर्ड सरकार की कुछ योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के अलावा यह corporate स्टाइल में भी काम करती है और सब्सिडाइज्ड मकान देना

उसका एक ध्येय है, उसका उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से यह डिमांड पर आधारित होना चाहिए और इसके लिए निश्चित रूप से हम डिमांड आधारित रणनीति पर ही काम करेंगे। मैं सम्माननीय सदस्य को और सम्माननीय सदन को आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रतिपक्ष के सम्माननीय सदस्यों ने निरंतर असंसदीय व्यवहार इस विधान सभा में दो बार, तीन बार आग्रह करने के बाद भी, जो यहां की 25 साल की परंपरा है, उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और यह नुकसान छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ की संसदीय परंपराओं का है। पूरा देश देखता है कि छत्तीसगढ़ ने क्या मापदंड स्थापित किए थे और उस मापदंड की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। इसलिए मेरे आग्रह के बाद भी आप समझने को तैयार नहीं हैं। सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित।

(11.52 से 12.40 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय
12.40 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सदन की व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की । आपकी व्यवस्था के बावजूद भी उन्होंने जो कृत्य किया ऐसा पूरे 25 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ । नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी हैं, वे बहुत ही समझादार हैं, बहुत ही शालीन हैं, बुद्धिजीवी हैं, उसके बावजूद भी ऐसा हुआ । पूरे सदन ने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी अराजकता फैलाने की दृष्टि से कांग्रेस के विधायकों को उकसाने का काम कर रहे थे, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है । सदन में नेता प्रतिपक्ष महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन सदन को विपक्ष की ओर से कौन चला रहा है इस बात का भी जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए । सदन की गरिमा का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए । आपने इतनी अच्छी व्यवस्था दी उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने यहां व्यवहार किया यह दुर्भाग्यपूर्ण है ।

निलम्बन अवधि का निर्धारण

अध्यक्ष महोदय :- आज प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 499) पर सभा में चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्यों ने गर्भगृह में आने के कारण छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 250(1) के अंतर्गत स्वमेव निलम्बित हो जाने की घोषणा करते हुए, मेरे द्वारा प्रतिपक्ष के निलंबित सदस्यों से परम्परानुसार सभा भवन से बाहर जाने का अनुरोध किया गया था । ताकि प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े अन्य विषय पर जो माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते थे उसकी सार्थक एवं निर्बाध चर्चा हो सके । परंतु प्रतिपक्ष के निलंबित माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ विधान सभा के उच्च मापदंड स्वरूप स्वस्थ परम्परा के विरूद्ध आचरण करते हुए नियमानुसार स्वमेव निलंबित हो जाने के बावजूद गर्भगृह में रहते हुए प्रश्नकाल जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यवाही को अनवरत बाधित करते रहे । मेरे द्वारा निलंबित सदस्यों से, सभा भवन से परम्परा और नियमों का पालन करते हुए बाहर जाने के बार-बार अनुरोध के बावजूद आसंदी के निर्देश के विपरीत आचरण किए जाने के कारण मैं अत्यंत दुखी मन से निलंबित माननीय सदस्यों को आज की दिन भर की कार्यवाही से निलंबित करता हूं (मेजो की थपथपाहट) ।

समय

12.43 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत् निजी भूमि अधिग्रहण में अनियमितता.

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है - निजी भूमि अधिग्रहण के तहत गांवों में 500 वर्गमीटर से कम भूमि का मुआवजा ज्यादा, तो 500 वर्गमीटर से अधिक की भूमि पर कम मुआवजा मिलता है। आमतौर पर यह देखने पर पाया गया है कि एक एकड़ भूमि का मुआवजा 20 लाख होगा तो इसे टुकड़ों में बांटकर 500 वर्गमीटर से कम कर दिया जाए तो कुल मुआवजा लगभग 1 करोड़ हो जाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतमाला प्रोजेक्ट में कई जिलों में भूमि घोटाला गडबडी सामने आई है। जिसके तहत बिलासपुर-उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग, रायपुर विशाखापट्नम इकॉनामिक कॉरिडोर, दुर्ग-रायपुर वायपास निर्माण के तहत (राजनांदगांव, दुर्ग, पाटन, अभनपुर एवं आरंग तहसील के ग्रामों में भू-अर्जन में अनियमितता) तथा भारतमाला प्रस्तावित सड़क राज्य के रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोण्डागांव कोरबा, रायगढ़, जशपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर व जांजगीर-चापा जिले अंतर्गत भू-अर्जन के लिए भूमि अधिग्रहण में व्यापक रूप से अनियमितता की गई है। जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों ने प्रॉपर्टी डिलिंग का कार्य करने वाले एव अन्य लोगों के साथ मिलकर । जमीन को राजस्व अभिलेखों में कूटरचना, अविधिक रूप से दर्ज नामातांरण, बंटवारा कर फर्जी तरीके से 6-10 लोगों के नाम दर्ज कर शासन को करोड़ों रूपये का नुकसान पहुंचाया है । जिन लोगों की जमीनें नहीं थीं, उन्हें भी कागजों में भूस्वामी बताकर करोड़ों रूपये की अनियमितता की गयी है। इनमें उच्च पदस्थ अधिकारियों के द्वारा भी अपने मातहत अधिकारी/कर्मचारियों से नियम विरूद्ध दबाव बनाकर कर भी इन अनियमितता को कराया है, जिसके तहत भारतमाला प्रोजेक्ट के बिलासपुर-उरगा मार्ग के निर्माण के लिए ग्राम ढेंका में भू-अर्जन की प्रक्रिया में हुई अनियमितता की शिकायत की जांच में अनियमितता की गई है। इस प्रकार वर्ष 2019 के बाद भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में लगभग सभी निजी भूमि के भू-अर्जन प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच न होने के कारण प्रदेश के आमजन में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिवर्ष संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारण करने हेतु जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण उपरांत केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छ.ग. द्वारा स्थावर संपत्तियों के संबंध में बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जारी की जाती है। स्थावर संपत्तियों के अनुमोदित बाजार मूल्य एवं उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी पंजीयन अधिकारी भारतीय स्टांप अधिनियम तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधान अनुसार

स्टांप एवं पंजीयन शुल्क के प्रयोजन हेतु स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य का संगणना करते हैं। उक्त उपबंधों के अंतर्गत कृषि भूमि के भूखण्डों के बाजार मूल्य की गणना के लिए 0.05 हे. से कम या बराबर क्षेत्र के भूखण्ड हेतु अलग दर तथा 0.05 हे. से अधिक क्षेत्र के भूखण्ड हेतु बाजार मूल्य की गणना के लिए अलग दर निर्धारित की गई है। उक्त प्रावधानों का उपयोग करते हुए ही निजी भूमि स्वामियों से अधिग्रहित भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि इसी प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए भारतमाला परियोजना में कई जिलों में भूमि अर्जन के मुआवजा वितरण में गड़बड़ी की गई है।

यह कहना सही है कि भारतमाला परियोजना अंतर्गत किए गए भूमि अर्जन के मुआवजा निर्धारण एवं वितरण में अनियमित्ता किए जाने की शिकायतें राज्य शासन को प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए राज्य शासन द्वारा संभागायुक्तों के माध्यम से दल गठित करके भारतमाला परियोजना अंतर्गत संपूर्ण भूमि-अर्जन की जाँच कराई जा रही है जो कि प्रक्रियाधीन है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही में अनियमितता में शासकीय कर्मचारियों के साथ निजी व्यक्तियों की भी संलिप्तता परिलक्षित होने पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण/ एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा जाँच कराई जा रही है।

जिला बिलासपुर के ग्राम ढेंका में भारतमाला परियोजना के बिलासपुर-उरगा मार्ग हेतु भूमि अर्जन में हुई अनियमितता की जाँच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। जिला स्तरीय टीम द्वारा भू-अर्जन प्रकरण वर्ष 2017-18 ग्राम ढेंका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 130ए बिलासपुर-उरगा मार्ग में प्रभावित भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत् पारित अवार्ड दिनांक 10.05.2021 को किया गया जिसमें रूपये 4,82,55,381/- (चार करोड़ बयासी लाख पचपन हजार तीन सौ इक्यासी) मुआवजा निर्धारण किया गया। जाँच में खसरों के बटांकन होने के परिणामस्वरूप रूपये 43,43,500/- (तिरालीस लाख तिरालीस हजार पांच सौ) मुआवजा राशि अधिक बना है। साथ ही भू-अर्जन प्रकरण वर्ष 2018-19 में दिनांक 09.06.2021 को द्वितीय अवार्ड पारित किया गया है, जिसमें रूपये 10,26,78,606/-(दस करोड़ छब्बीस लाख अठहत्तर हजार छः सौ छः) निर्धारण किया गया है। जाँच में खसरों के बटांकन होने के परिणामस्वरूप रूपये 63,62,136/- (तिरसठ लाख बासठ हजार एक सौ छत्तीस) मुआवजा राशि अधिक बना है।

जॉच में तत्कालीन पटवारी श्री सुरेश मिश्रा द्वारा राजस्व अभिलेख यथा खसरा पांचशाला में भू-अर्जन से संबंधित खसरों के बंटवारा में दर्ज बंटवारा दिनांक में वाइटनर कागज पर्ची लगाकर कूटरचना/छेड़छाड़ किया जाना पाया गया है जिससे नामांतरण/बंटवारा के कारण अधिक मुआवजा राशि की गणना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है किंतु मुआवजा राशि का वितरण नहीं किया गया है। प्रकरण आर्बिट्रेटर के समक्ष विचाराधीन है, आर्बिट्रेटर से आदेश पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

भारत माला परियोजना अंतर्गत राज्य शासन को प्राप्त शिकायतों में शासकीय कर्मचारी/अधिकारी एवं निजी व्यक्तियों की भूमि अर्जन के संबंध में की गई अनियमितता में संलिप्तता परिलक्षित होने पर राज्य शासन द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत मुआवजा राशि के निर्धारण तथा भुगतान में हुई अनियमितता की जॉच राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर को दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा उक्त जॉच में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 की धारा 7-सी तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के अंतर्गत अपराध क्रमांक 30/2025, दिनांक 23.04.2025 को पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की जांच हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 की धारा 17-क के अंतर्गत पूर्वानुमोदन एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया गया है। अब तक की विवेचना में प्रकरण में संलिप्तता व साक्ष्य के आधार पर 8 गैर लोक सेवक तथा 10 लोक सेवकों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 8 गैर लोक सेवकों तथा 1 लोक सेवक एवं 1 सेवानिवृत्त लोक सेवक आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 10 आरोपियों पर जेल निरूद्ध की कार्रवाई की गई है। 8 आरोपियों के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय, रायपुर से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कराया गया है। जिसमें 6 आरोपियों का माननीय न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी किया गया है। एक आरोपी को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अंतरिम राहत प्रदान की गई है तथा 1 आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य संकलन जारी है। इस प्रकार उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर अन्य आरोपियों के विरूद्ध विवेचना जारी है।

वर्तमान में भारतमाला परियोजना अंतर्गत समस्त भू-अर्जन की कार्रवाई की संभागायुक्त एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण/ एन्टी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जाँच कराये जाने के कारण उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन द्वारा की जा रही त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई के कारण प्रदेश में आमजन में कोई रोष नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने लगभग स्वीकार किया है और उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन्होंने वह भी बताया है। साथ ही जो बटांकन किया गया और बटांकन के कारण मुआवजे की राशि में जो वृद्धि हुई है, इस बात को भी मंत्री जी ने स्वीकार किया है। अब मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि भारत माला परियोजना (विशाखापटनम-रायपुर-बिलासपुर-उरगा) इन दोनों परियोजनाओं में किस-किस जिले में अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय माला परियोजना केन्द्रीय सरकार की बहुत बड़ी योजना है और यह छत्तीसगढ़ के कई जिलों से होकर गुजर रही है। यह हजारों करोड़ रूपये की परियोजना है। इस योजना के भू-अर्जन में कई प्रकार की त्रुटियां व गड़बड़ियां की गई हैं और भू-अर्जन की राशि में कई गुना वृद्धि की गई है। शासकीय जमीन का मुआवजा लिया गया है। एक ही जमीन दो

बार बिकी है। जिसकी जमीन बिकी है, उसको मुआवजा नहीं मिला है। ट्रस्ट की जमीन को कोई व्यक्तिगत बता रहा है। इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इस गड़बड़ी की जांच करने के लिए और दोषी व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए पहले सभी संभागायुक्तों को जांच के आदेश दिये गये। चूंकि इस मामले में गैर लोक सेवक भी हैं, निजी लोग भी हैं और भू-माफिया भी सम्मिलित हैं, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार ने इस मामले को ई.ओ.डब्ल्यू. को दिया है। ई.ओ.डब्ल्यू. इसकी सूक्ष्मता से जांच कर रही है। हर 4 दिन में व हर सप्ताह भारत माला परियोजना की जांच की खबरें अखबारों में प्रकाशित होती हैं और दोषियों पर कार्रवाई हो रही है और वह अरेस्ट हो रहे हैं। हम यह सारा जिम्मा ई.ओ.डब्ल्यू. को दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ में सुशासन और भ्रष्टाचार रहित सरकार है। चाहे कोई भी गड़बड़ी करे, दोषी व्यक्ति नहीं छूटेंगे और उनपर कार्रवाई होगी। ई.ओ.डब्ल्यू. इस मामले की जांच कर रही है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग आदि सभी जिलों में जांच चल रही है। जितने भी लोग दोषी हैं, उन सब पर कार्रवाई हो रही है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए सड़कें बनाई जा रही है। लेकिन जमीन के अधिग्रहण में जिस प्रका रकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं तो इसमें छोटे-छोटे मछली को धर लिए गए हैं, लेकिन मगरमच्छ बाकी हैं। जिनके ईशारें पर ये सारे काम हुए हैं, वह आपकी पहुंच से बाहर है। अभी मैं जब ध्यानाकर्षण लगाया उसके बाद कल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें आपका मामला बढ़ता जा रहा है। मेरा ऐसा कहना है कि मामलें की जांच में जो गंभीरता होनी चाहिए और जो जांच होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रभावशील लोग हैं, वे उससे बाहर हैं। इसमें छोटे अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। जिनके ईशारें पर गिरफ्तारी हुई है, जिनके ईशारे पर काम हुए हैं, वे बाहर हैं। जिन निजी व्यक्तियों की बात की है, तो निजी व्यक्तियों की गिरफ्तारी में भी वैसे ही व्यक्ति सामने आए हैं, जो नीचे स्तर के हैं। जिनके ईशारें पर सारे प्रोजेक्ट में पलीता लगाने का काम किया गया है, ऐसे लोग आपकी पहुंच के बाहर हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न ना करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आपने सारी चीजों को स्वीकार किया है। इस मामलें की गंभीरता को देखते हुए और नीचे स्तर पर जाकर जांच कर जो भी लोग इसमें संलग्न हैं, जिनके ईशारें पर काम हुए हैं, वे सारे लोग गिरफ्त में आये, मैं आपसे मांग करता हूं। क्योंकि यह अनेक जिलों में फैला हुआ है, विस्तृत मामला है। तो क्या इसकी जांच सी.बी.आई. को सौंप देंगे ? सी.बी.आई. के माध्यम से सारे प्रकरणों की जांच करायेंगे, मैं यह आपसे मांग करना चाहता हूं।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ई.ओ.डब्ल्यू. छत्तीसगढ़ की एक बड़ी जांच एजेंसी है, विश्वसनीय एजेंसी है। सरकार ने निर्णय लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अतिरिक्त सी.बी.आई. जांच की आवश्यकता होगी। ई.ओ.डब्ल्यू. पर भरोसा है। इसमें जांच तेज गति से हो रही है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। बिलासपुर में ढेका के एक प्रकरण में एक दिन में एक जमीन का डेढ़ सौ बटांकन किया गया है। डेढ़ सौ लोगों के नाम में बटांकन करने के बाद आप सोच लीजिये कि कितना गुना मुआवजा बढ़ा है। आप एक प्रकरण का बटांकन नहीं करा सकते, आफिस के चक्कर काटते-काटते चप्पल घिस जाते हैं और यहां एक दिन में डेढ़ सौ लोगों के नाम पर बटांकन हो गया। यह मैं एक जगह का उदाहरण बता रहा हूं। पूरे प्रदेश में इस प्रोजेक्ट में ऐसी ही स्थिति है। इसलिए इतनी धीमी गति से जांच हो रही है कि पता नहीं वह कब तक चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि सारे तथ्यों को देखते हुए यदि मामले की जांच सी.बी.आई. को सौंप देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी केन्द्र सरकार की जो मंशा है, जो इच्छा है, उसके अनुसार हमारे यहां अच्छा सड़क भी निर्माण होगा। साथ ही जिनके ईशारें पर ये सब काम हुए हैं, वे लोग गिरफ्त में आयेंगे और आने वाले समय में जो भी परियोजना आयेगी, उसमें कम से कम इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मामले की जांच सी.बी.आई. सौंप दिया जाये।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत माला परियोजना में भू-अर्जन में गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार को करोड़ों रूपये की क्षति हुए है। इसी को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पिछली विधान सभा सत्र में एक अधिनियम लाया था और यहां से पारित किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। कोई भी परियोजना चाहे राज्य सरकार की ओर या केन्द्र सरकार की परियोजना हो, अगर ऐसी कोई परियोजना आती है, तो सिर्फ एक पत्र आ जाये कि यह परियोजना चालू होना है, तो उसके प्रकाशन के पहले वहां खरीदी-बिक्री, सीमांकन, बटांकन सभी पर प्रतिबंध लग जाता है। जैसे अभी रेल परियोजना आने वाला है, रायपुर से बलौदाबाजार सड़क फोरलेन होने वाला है, इन सभी जगहों में खरीदी-बिक्री बंद हो गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो भारत माला परियोजना है, इसमें तो प्रतिबंध के बाद बटांकन हुआ है।

समय :
1:00 बजे

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए उसमें एफ.आई.आर. हुई है, उसमें कार्रवाई हो रही है और लोग अंदर जा रहे हैं। कोई भी नहीं छूटेंगे। (मेजों की थपथपाहट) हमारे वरिष्ठ विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग की है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे राज्य की

स्वतंत्र एजेंसी है, बड़ी एजेंसी हैं, वह जांच कर रही है और उसमें हमें पूरा भरोसा है। उनकी जांच में अच्छे परिणाम आयेंगे और जो भी दोषी व्यक्ति है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दो-तीन प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप शुरूआत तो करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आपने जवाब में दो जगह लिखा है कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जांच कराई जा रही है, फिर आपने लिखा है कि जांच के लिए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर को दिया गया है। अभी आप उत्तर में कह रहे हैं प्रकरण ई.ओ.डब्ल्यू. को दिया है, लेकिन उत्तर में ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. लिखा गया है। आप पहले इसको स्पष्ट कर दीजिये क्योंकि इस जवाब में अलग लिखा है और आप अलग बोल रहे हैं। दोनों में क्या सत्य है, आप यह बता दीजिये? फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी., दोनों एजेंसी एक ही पार्ट है। ए.सी.बी. रिश्वत व लेन-देन के संबंध में जांच करती है और ई.ओ.डब्ल्यू. आर्थिक मामले में जांच करती है, लेकिन दोनों एजेंसी Combined हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, दोनों एक ही नहीं है। दोनों अलग-अलग एजेंसी है। आपने उत्तर में दो जगहों पर ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. का उल्लेख किया है। दोनों के अलग-अलग कार्य हैं, दोनों के अलग-अलग विषय हैं, दोनों अलग-अलग संस्थाएं हैं। आप मौखिक उत्तर में बोल रहे हैं कि ई.ओ.डब्ल्यू. जांच कर रही है, लेकिन आपने लिखित में दोनों एजेंसी को ऑब्लिग करके लिखा है। यह सदन है। आप सदन में स्पष्ट बताईए कि कौन सी एजेंसी जांच कर रही है? क्योंकि लिखित रिकॉर्ड में अलग होगा और मौखिक रिकॉर्ड में अलग होगा तो भ्रम की स्थिति बनेगी, जिसके कारण जांच की गंभीरता खत्म होगी।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम पत्र लिखते हैं या वहां से पत्र आता है तो वह लिखते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी., रायपुर। वह ऑब्लिग करके दोनों एजेंसी को लिखते हैं। यह पत्र में उनका साइन है। हमने ई.ओ.डब्ल्यू. लिखा है, पर जब वहां से पत्र आता है तो वह दोनों एजेंसी को ऑब्लिग करके ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी., रायपुर लिखते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि दोनों संस्थाएं अगल-अलग हैं, दोनों के काम अलग-अलग हैं। आप क्या पत्र लिखते हैं, यह मुझे नहीं मालूम। मैंने उस दिन भी वही प्रश्न पूछा था कि ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच कराने का निर्णय किसने लिया? दूसरी बात, आपने उत्तर में लिखा है कि संभाग आयुक्तों के माध्यम से जांच की जा रही है। इस परियोजना में कितने संभाग आयुक्त जांच कर रहे हैं? सबके एक बिन्दु है या अलग-अलग बिन्दु है? सबकी जांच अवधि एक है या अलग-अलग है?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतमाला परियोजना पांचों संभाग के कोई न कोई हिस्से को छू रहा है। इसलिए पांचों संभाग आयुक्त को जांच के लिए पत्र लिखा गया है। जांच के बिन्दु निर्धारित है और उसी बिन्दु पर जांच हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या-क्या है?

श्री टंकराम वर्मा :- मैं आपको विस्तार से जानकारी दे दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, समयावधि तय है या नहीं है? यह मैंने पूछा है।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जांच की समयावधि तय कैसी होगी?

श्री अजय चन्द्राकर :- समयावधि तय नहीं है? आप कह दीजिये न कि तय नहीं है।

श्री टंकराम वर्मा :- नहीं, हमने जांच के लिए उनको समय-सीमा नहीं दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने जांच की समय-सीमा तय नहीं की है?

श्री टंकराम वर्मा :- नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करूंगा। ए.सी.बी. जांच कर रही है या ई.ओ.डब्ल्यू. जांच कर रही है, यह पत्र में उल्लेखित है। मंत्री जी बयान में बोल रहे हैं कि ई.ओ.डब्ल्यू. जांच कर रही है, पांच संभाग आयुक्त जांच कर रही है। पांच संभाग आयुक्त को कौन मॉनिटरिंग करेगा? इसलिए सी.बी.आई. से नहीं करवायेंगे तो शासन स्तर में विभाग स्तर के बजाय सचिव लेबल से जांच हो। भले ही उसमें सदस्य संभाग आयुक्त रहे, लेकिन अलग-अलग संभाग के एक ही विषय में अलग-अलग संस्था से जांच होगी तो integracy नहीं रहेगी। integracy नहीं रहेगी तो लोगों की बचने संभावना कम होगी, जांच की गंभीरता कम होगी। इसलिए इन पांचों संभाग को एकीकृत करके किसी एक संस्था से जांच करवाई जाये। यदि वह सी.बी.आई. जांच की मांग को नहीं मानते हैं तो शासन स्तर में सचिव लेबल से जांच कराई जाये। शासन में विशेष सचिव, अवर सचिव व अन्य बहुत से अधिकारी हैं जो जांच कर सकते हैं। मंत्री जी, यदि आप सी.बी.आई. से जांच नहीं करवायेंगे तो क्या आप पांचों संभाग को integrate करके शासन स्तर में सचिव से जांच करायेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, पहले जब आप मुख्यमंत्री थे तो कई जांच ऐसी है, जिसको हमने शासन से जांच करवाया है। शासन ने जो कराई है, मैं उसका उदाहरण भी दे सकता हूं। माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि पांचों संभाग में integracy नहीं रहेगी। समय में कोई आगे करेगा, कोई पीछे करेगा, कोई अलग बिन्दु निकल आयेंगे। इसलिए एकरूपता के लिए जरूरी है कि शासन एक एजेंसी से एक व्यक्ति से सारे मामलों की जॉच करवाये । भले संभाग आयुक्त उसको मदद करे, चाहे जिस तरफ निकाल दें । आप कृपया इसमें अपना मत व्यक्त करने का कष्ट करेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय अजय चन्द्राकर जी ने समिति गठित करने की जो बात की है तो उस पर विचार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, सरकार से चर्चा करेंगे, उसके बाद...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन में है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, 5 संभाग आयुक्त जॉच करेंगे । यह कितने दिनों में होगी, जब आप मामले को गंभीरता से कर रहे हैं तो शासन स्तर पर सचिव से जॉच होगी, यह बोलिये ।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हम जल्द से जल्द चर्चा करके आपको बता देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं जल्द से जल्द की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 5 संभाग आयुक्त के जॉच की क्या गंभीरता रहेगी । जब एक विषय का 5 अलग-अलग लोग जॉच करेंगे तो क्या गंभीरता रहेगी ? यदि आप गंभीर हैं, शासन गंभीर है, सचिव लेवल, शासन लेवल से उसकी जॉच होनी चाहिये ।

श्री टंकराम वर्मा :- शासन गंभीर है, तभी इतनी कार्यवाही हो रही है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, एक विषय की 5 लोग जॉच करें, यह पहली बार हो रहा है ।

श्री टंकराम वर्मा :- अलग-अलग संभाग का है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह अलग-अलग संभाग का हो तो भी यह पहली बार हो रहा है कि एक विषय में 5 लोग जॉच करे । एक विषय की जॉच एक आदमी करे, एक संस्था करें, आप सचिव लेवल से और शासन लेवल से इसकी जॉच क्यों नहीं करवाना चाहते हैं ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके फिर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जवाब आ गया । मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा प्रश्न है, आर्थिक अपराध हुआ है, इस बात को मंत्री जी ने स्वीकार किया है । जिन लोगों ने अपराध किया है, बटांकन किया है, टुकड़ा किया है, उन लोगों की बची हुई जमीन को आने वाले समय में क्या बेचने के लिये प्रतिबंधित करेंगे ? दूसरा, जिन लोगों ने किया है, उससे वापस वसूली करेंगे क्या ?

श्री टंकराम वर्मा :- प्रश्न एक बार रिपीट करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न एक बार और रिपीट कर दीजिए ।

श्री सुनील सोनी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक अपराध हुआ है, इस बात को आपने स्वीकार किया है । जिन लोगों का जमीन बटांकन करके अपराधी घोषित हुये हैं, जिनको सजा हो रही है या जिनकी विवेचना चल रही है, ऐसे लोगों की बची हुई जमीन को न बेच सके, अत: उसे प्रतिबंधित करेंगे और आने वाले समय में जो अपराध किये हैं, क्या उससे वसूली करेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें न्यायालयीन प्रक्रिया है और उसकी जॉच की क्या विधि होगी, कौन सा उसका तरीका होगा, हम न्यायालयीन प्रक्रिया में जायेंगे ।

श्री सुनील सोनी :- अध्यक्ष जी, मैंने सरल प्रश्न किया है, क्योंकि आपने उसको गिरफ्तार किया है यानी कहीं न कहीं उसने अपराध किया है, इसलिये गिरफ्तारी हुई है तो बची हुई जमीन को वह न बेच सके, ताकि आने वाले समय में वसूली करने में सहुलियत हो । केन्द्रीय मंत्री जी ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त की है, आज देश में छत्तीसगढ़ का नाम अलग होगा कि इस प्रदेश में यदि कोई भ्रष्ट्राचार करता है तो उस पर यह सरकार कार्यवाही करती है, यह संदेश जायेगा तथा हमारे प्रदेश को और योजनायें मिलेंगी । हम अभी उसको बेच न सकें, इसके लिये हम प्रतिबंधित तो कर ही सकते हैं ?

श्री टंकराम वर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपराधिक प्रकरण है और ई.ओ.डब्लू. इस पर जॉच कर रही है । ई.ओ.डब्लू. जो है, अपने जॉच के ऊपरांत ही जमीन को प्रतिबंधित किये जाने या उनके वसूली के लिये आगे की कार्यवाही उसमें हो पायेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप पूछिये राजेश जी ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लगातार समाचारों की सुर्खियॉ बनी हुई है और छत्तीसगढ़ का भारत माला प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है । क्या केन्द्र सरकार ने, एन.एच.आई. ने आपको भारत माला प्रोजेक्ट के ऊपर लैण्ड इक्विजीशन को लेकर कोई पत्र भेजा है ? उस पत्र में किन-किन चीजों का का उल्लेख किया है, आप उसके बारे में बताने का कष्ट करें ।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारत माला परियोजना वर्ष 2019-2020 का है और जो माननीय विधायक जी के द्वारा जो जानकारी मांगी जा रही है, मैं उसको बाद में उपलब्ध करा दूँगा ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा चलिये ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो वहीं का वहीं है, जब लैंण्ड इक्विजिशन हुआ और लैण्ड इक्विजिशन की जो कॉस्ट निकलकर आई...।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आपको बाद में जानकारी उपलब्ध करा देंगे ।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, जब लैण्ड एक्वीजिशन की लागत निकलकर आई और जो बटांकन हुआ, उसके कारण प्रोजेक्ट की लागत में केन्द्रीय मंत्री जी ने स्वयं सरकार को इस बात के लिए इंगित किया और उन्होंने कहा है कि इसमें अनियमितता हुई है । एन.एच.ए.आई. ने जांच के बिन्दु भी लिखकर भेजे हैं, उसके बाद में अगर विभाग ने स्वयं इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की । जब यह विषय चर्चा बन गई, समाचार-पत्रों में लगातार छपता रहा, तब उस पर विभाग ने स्वयं संज्ञान में लेकर और केन्द्रीय मंत्री के कहने के बाद में भी चाहे यह केस सन् 2019-20 का पूर्ववर्ती सरकार के समय का मामला हो, लेकिन कोई निर्णय नहीं किया, न कोई जांच की । छोटी छोटी मछली पकड़ में आ गई, उसमें जितने

दोषी थे, जो असली में दोषी हैं, वे आज भी बाहर घूम रहे हैं और पदों पर विराजमान हैं । इसीलिए केन्द्रीय मंत्री जी ने जो प्रश्न उठाया, मैं वही आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उसमें किन-किन चीजों का उल्लेख किया है, इसकी जानकारी हो तो सदन को बता दें ।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर से भी एक भारतमाला प्रोजेक्ट रॉची के तरफ जाने के लिए बनी है और इसी कार्यकाल में बनी है। जो जानकारी है, उसमें 12-12 डिसमिल के बटांकन करके मुआवजे दे दिए गए । यह भ्रष्टाचार का सेम सिमलर मामला है और आज दिनांक तक जो संभागायुक्त थे, उनके पास जांच करने का विषय आया था, उसमें जॉच का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारतमाला में हुए आर्थिक भ्रष्टाचार के विरूद्ध जो जांच संभागायुक्त, बिलासपुर करने वाले थे, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है क्या ? अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो उसकी जांच कब तक पूर्ण हो जाएगी ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिले में बिलासपुर संभागायुक्त के द्वारा जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है । हम चाहेंगे कि जांच की कार्रवाई जल्द से जल्द हो, यह मैं आश्वस्त करता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बार-बार आपके माध्यम से इसीलिए पूछा जा रहा है कि कोई भी परियोजना केन्द्र की सरकार से या प्रदेश की सरकार के पैसे से लागू करने के पहले अगर इस प्रकार के भ्रष्टाचार या इस प्रकार की हेरा-फेरी का काम होगा तो हमारा एचीव्हमेंट नहीं मिलेगा, हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकेंगे । भारतमाला प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है । पटवारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों के कारण इस तरीके से अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो यह बहुत चिंतनीय है । इसमें आप बड़े दिल से और बहुत कड़क कार्रवाई करके न केवल अधिकारियों के ऊपर बल्कि उन भूमि वालों के ऊपर भी कार्रवाई करिए, जिन लोगों ने अपनी जमीन का टुकड़ा कराया । उसमें कितनी कार्रवाई हुई है? एक भी जमीन वालों पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की । सिर्फ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं । अधिकारियों की कार्रवाई से यह परम्परा बंद नहीं होगी । हमें हमारे क्षेत्र में सड़क बनवाना है, हमें हमारे क्षेत्र में सिंचाई का काम कराना है और हमें अपना बाईपास बनवाना है । 4 साल हो गए हैं, पर तखतपुर बाईपास के मुआवजा का प्रकरण तय नहीं हो पा रहा है । वह क्यों नहीं होता है ? आखिर कोई नियम तो होगा । ऐसी कौन सी बाधा है, जो 4 साल में तखतपुर के बाईपास का लैण्ड एक्वीजिशन नहीं हो पा रहा है । मंत्री जी, पूरे प्रदेश में जहां-जहां इस प्रकार के मामले हैं, इन सभी प्रकरणों को आप उठाईए और इस प्रकार की बड़ी योजनाओं में तो हम सबको बहुत संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि केन्द्र की सरकार हमें इतनी बड़ी हाईवे भारतमाला के रूप में दे रही है और हम छोटे-छोटे मामलों को लेकर पंचायती में पड़े हैं । आप कड़क कार्रवाई करिए और जो भी हों, उनको जेल भिजवा

दीजिए । क्योंकि प्रदेश के हित में जेल भेजना जरूरी है । अगर कोई केस नहीं है तो जबरदस्ती कुछ न कुछ मामला बनाकर उनको जेल भिजवाईए ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, कड़क कार्रवाई करिए, बड़ी मछली पकड़िए, ये सब बातें आ गई हैं । अब इसका निष्कर्ष यही है कि इस विषय की गंभीरता है । पूरा प्रदेश चिंतित है । बिलासपुर से लेकर 5 संभाग को प्रभावित कर रहा है । भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है । जितने अच्छे से कठोर कार्रवाई होगी, जितनी पारदर्शिता से जांच होगी, उतना ही बेहतर तरीके से आपकी ईमेज बनेगी और दिल्ली ज्यादा पैसा देगा इसलिए जल्दी कराईए । धन्यवाद ।

श्री टंक राम वर्मा :- जी, माननीय अध्यक्ष महोदय । यह सही बात है कि भू-अर्जन की प्रक्रिया और उसमें गड़बड़ी के कारण बड़ी-बड़ी परियोजनाएं रूक जाती है और इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ।

(ध्यानाकर्षण संख्या 2 के प्रस्तुतकर्ता सदस्य के निलंबन के कारण सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

समय:
1.15 बजे

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएँ सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चंद्राकर
2. डॉ. चरणदास महंत
3. श्री इन्द्रशाह मंडावी
4. श्री सुशांत शुक्ला
5. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

समय:
1.16 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति(श्री विक्रम उसेण्डी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
(क्रमांक - 07)	श्रीमती अंबिका मरकाम	30 मिनट
(क्रमांक - 08)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय :-प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन

सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति (श्री विक्रम उसेण्डी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

समय:
1.17 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित माननीय सदस्य श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय:

1.18 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025)

मुख्य मंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

मुख्य मंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) का पुरःस्थापन करता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025)

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा):- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) का पुरःस्थापन करता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025)

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब एक विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत हुआ था तब मैंने उसमें सारी बातें कही थीं।

श्री अमर अग्रवाल :- यह वह वाला विषय नहीं है, यह टंकराम वर्मा जी का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- यह भू-राजस्व वाला विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें भी बोल देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले भू-राजस्व में बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भू-राजस्व संहिता विधेयक में 7 संशोधन हैं। सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है इससे अवैध प्लॉटिंग में रोक लगेगी और आमजन के लिए जो नक्शा का बटांकन है और अभिलेखों को जो अद्यतन करना है, वह आसान होगा। इसमें पहल की गयी थी और अब यह कानूनी स्वरूप ले लेगा। यह संशोधन एक अच्छी मंशा से लाया गया है और मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और जिसमें महत्वपूर्ण संशोधन है। धारा 70 में परंतुक द्वारा यह प्रावधान रखा गया है कि कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 5 एकड़ से कम हो, उसका उपखंड नहीं बनाया जा सकेगा। माननीय टंकराम जी, राजस्व मंत्री महोदय, शहरी क्षेत्र में छोटे-छोटे दुकान वर्गफीट में बिकते हैं। ग्रामीण के लिए तो यह व्यवस्था ठीक है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। आप व्यावहारिक रूप से विचार कीजिए क्योंकि शहरी क्षेत्र में 400-500 फीट के भी बटांकन होते हैं। क्या शहर में 5 डिसमिल तक की ही खरीदी बिक्री व्यावसायिक उपयोग के लिए होगी ? यह गांव के लिए तो प्रभावी है परंतु शहर में इसके लिए क्या हो सकता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप क्या सोच रहे हैं ? आप इस बात पर अपने वक्तव्य पर जरूर प्रकाश डालेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अभी डिजिटल मैप के संबंध में भू-राजस्व संहिता में कोई प्रावधान नहीं है इसलिए डिजिटल मैपिंग में विवाद की स्थिति बहुत बनती है। यह संहिता की धारा 107 की उप धारा 5 में परंतुक के रूप में जिसमें referenced नक्शे को मान्यता प्रदान करने हेतु जोड़ा जा रहा है। मैं ऐसा सोचता हूं कि यह जो जोड़ा जा रहा है इससे विधिक विवाद में कमी आयेगी । माननीय मंत्री जी, मेरी सोच समझ तो ठीक है ना ? दूसरा, भूमि के पंजीयन होने के बाद जो भूमि का नामांतरण है वह पृथक से कराया जाता था।

समय:
1.23 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, फौती उठान तभो हे। फौती ये मे शामिल नहीं हे। आपको इसमें फौती को भी शामिल करना था। अब यह फौती उठाने के बाद क्या होगा ? आप इसको अपने वक्तव्य में जरूर बताईयेगा। क्या वह भी स्वत: हो जायेगा ? इसमें उसकी प्रक्रिया क्या होगी ? क्योंकि आपने धारा 110 की उप धारा 7 के परंतुक के रूप में वाणिज्य पंजीयन मुद्रांक विभाग द्वारा भूमि के पंजीयन के साथ ही नामांतरण भी ऐसे रूप में किया जायेगा जैसा सरकार निर्धारित करेगी। इसके नियम तो आप बनायेंगे। यदि आप नियम बनायेंगे तो क्या आप नियमों में मुद्रांक विभाग के अतिरिक्त जो स्वाभाविक रूप से राजस्व में मय फौती उठाते हैं, उसका भी स्वाभाविक नामांतरण कैसे हो जाये ? क्योंकि राजस्व विभाग में फौती उठाने के लिए सबसे ज्यादा करप्शन होता है। आप फौती का नाम तो नहीं बदल दिये हैं क्योंकि आज कल विजय शर्मा जी बहुत नाम बदल रहे हैं। वह पुलिस विभाग के बहुत सारे उर्दू नाम को हिंदी में कर रहे हैं। इसमें फौती भी स्वाभाविक रूप से नामांतरित हो जाये। इस कंडिका में जब आप बोलेंगे तो उसको जरूर बतायेंगे। ऐसी मेरी अपेक्षा है। किसी भूमि स्वामी की मृत्यु पश्चात वारिसों के पक्ष में ई-नामांतरण ऐसे रूप में की जा सकेगी जैसा राज्य सरकार नियम निर्धारित करेगी। अच्छा, यह आपने इसमें शामिल किया है। यह प्रावधान कि धारा 110 की नवीन उप धारा 9 के रूप में किया जा रहा है। आपके सचिव साहब इस विषय में भारत सरकार में भी काम कर चुके हैं। आप आप नियम में इसको इतना पारदर्शी बनाईये कि फौती में पूरी तरह से करप्शन खत्म हो जाये। आपने 5 नंबर में धारा 110 की नवीन उप धारा 10 के माध्यम से धारित भूखण्ड भवन भूमि हस्तांतरण भूमि के अनुपात में किये जाने का प्रावधान किया है, यह स्वागतेय है। आपको बधाई क्योंकि यह अच्छा संशोधन है। अब बिंदु (6) में आप औद्योगिक नीति के हिसाब से परिवर्तन कर रहे हैं। 6. धारा 172 में संशोधन के संबंध में औद्योगिक नीति 2024-30, सार्वजनिक किफायती आवास नियम, 2025 व्यवसाय सुगमता, नगर एवं ग्राम निवेश के अनुरूप विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु यह प्रावधान किया जाना है। यह पहले से थी, किन्तु यह अस्पष्ट था। इसको सरल रूप में प्रावधान किया जा रहा है ताकि इसे समझने में आसानी हो। अभी यह कितना स्पष्ट होगा, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसे समझने में आसानी होगी, मैं इन पूरे बिन्दु 6 को पढ़ रहा हूँ तो। यह कैसे आसान होगा, कैसे स्पष्ट होगा। मैं सोचता हूँ कि आप इसको अपने वक्तव्य में जरूर बतायेंगे। औद्योगिक नीति वर्ष 2024 से वर्ष 2030 में क्या प्रावधान है? जिसके तहत राजस्व विभाग जुड़कर, यदि कोई स्पष्ट नीति बना रहा है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ is of doing state बनेगा। उसमें भूमि की समस्या बहुत कठिन होती है, लेकिन यह स्पष्ट कैसे होगा? इसमें सुगमता कैसे आएगी, इसे अपने भाषण में जरूर स्पष्ट कीजिएगा। वैसे ही बिंदु क्रमांक 7 में वर्तमान में फ्री होल्ड पश्चात् हितग्राहियों से व्यपवर्तन शुल्क तथा अर्थदण्ड भारित/ वसूली करने से अप्रिय स्थिति बनती है जिससे क्षुब्ध होकर हितग्राही को न्यायालय के शरण में जाने वालों की संख्या अत्यधिक होते जा रही है, यह बात भी ठीक है। इस दृष्टि से आप अनुसूची (4) में संशोधन कर

रहे हैं। यह ठीक है न ? आप अनुसूची (4) में जो संशोधन कर रहे हैं, वह संशोधन क्या होगा ? इस अनुसूची (4) में, आपका यह जो (संशोधन) विधेयक है, इसे आप पढ़ेंगे, यह मेरे हाथ में रखा है। उसमें 7 वें नंबर के (ii) केवल इतना ही लिखा है स.क्र. "स" के कॉलम (4) में शब्द "योजना" के पश्चात्, शब्द एवं अंक "दिनांक 31.10.2024 तक गृह निर्माण मण्डल को आवंटित भूमियों" जोड़ा जाये।" तो सिर्फ यह गृह निर्माण मण्डल के लिए होगा कि और भी दूसरी संस्थाएं, निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं उनके लिए भी होगा। जब आप is of doing माने सरलीकृत कर रहे हैं तो सिर्फ सरकार के लिए सरलीकृत कर रहे हैं। आपको क्या सरलीकृत करने की जरूरत है, आप सरकार हैं, गृह निर्माण मण्डल तो आपका उपक्रम है। जो आप निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं। आप डोनाल्ड ट्रम्प को बुलाईये, उसकी भी तो रियल स्टेट की कंपनी है, आप डोनाल्ड ट्रम्प से पूछिये कि आपको छत्तीसगढ़ में क्या-क्या सुविधाएं चाहिए, आप यहां आ जाईये। फिर बाद में हम टैरिफ-वैरिफ देख लेंगे। इसमें निजी क्षेत्र को भी लाभ मिले। निजी क्षेत्र के लोग। क्यों अमर अग्रवाल जी, डोनाल्ड ट्रम्प रियल स्टेट में है या नहीं है?

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जी, वह है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, तो ऐसे लोग भी छत्तीसगढ़ में आएं।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मुझे मालूम है इसलिए मैंने हां बोला है, उनके कहने से हां नहीं कहा है । (हंसी) मुझे यह मालूम है कि वह रियल स्टेट में है और इंडिया में है। आप लोग देख रहे हैं कि मैं उनके कहने से हां कह रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अमर जी से इसलिए हां कहलवाया क्योंकि वह रियल स्टेट ही नहीं, ऐसे हर कानूनों के बारे में जानते हैं। मैं अभी गलती कर रहा था, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक में बोल रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको दूसरे (संशोधन) विधेयक में बोलना है। आप हंस रहे थे कि मेरी तैयारी नहीं होगी। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- लेकिन आपने इस विधेयक के क्रम से बोलना शुरू किया।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, अजय भईया, हमारे विश्वविद्यालय हैं और हम सब लोग उस विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो हम लोग आपसे सीखते हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री(श्री टंकराम वर्मा) :- इसमें कोई प्रश्नचिन्ह लगा ही नहीं सकता कि आपकी तैयारी नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, गृह निर्माण मण्डल के अतिरिक्त जब आपने औद्योगिक नीति का उल्लेख किया है और अलग-अलग तरीके से औद्योगिक नीति में 3-4 बार संशोधन हुआ। उसमें आपने अलग-अलग अस्पताल आदि को भी शामिल किया है और अच्छा बना रहे हैं। जैसा उस दिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनी तो देश भर में लोग नई औद्योगिक नीति को जानना चाह रहे हैं तो इसमें सिर्फ गृह निर्माण मण्डल के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों को भी बिल्कुल परेशानी

न हो तो आप यह अपने वक्तव्य में बतायेंगे । इसमें यह 7 संशोधन थे, मैंने इन सातों में बातें रखीं, आपकी बातचीत से बाकी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यहां आपने बहुत अच्छा विधेयक लाया है। मैंने जो चीजें कहीं हैं, उसमें आपका वक्तव्य आएगा तो और समझ में आ जाएगा। इन बातों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है ?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति जी, भू-राजस्व संहिता संशोधन में जो आज इस विधान सभा में संशोधन विधेयक आया है। मैं उसके लिए बहुत सी धाराओं के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी का, सारे मंत्रियों का और राजस्व मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और यह आज की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे भी 2-3 साल राजस्व मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। सभापति महोदय, यह धारा-70 में जो संशोधन है जिसके बारे में अजय चन्द्राकर जी शहर के बारे में जिक्र कर रहे थे कि ग्रामीण में तो ये ठीक है और शहरों में छोटी-छोटी रजिस्ट्री होती है। हालांकि जवाब मंत्री जी को देना है, लेकिन फिर भी एम.पी.एल.आर.सी. में ये प्रावधान शुरू से मध्यप्रदेश के जमाने से चला आ रहा था कि 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि रजिस्ट्री नहीं हो सकती। सभापति महोदय, लेकिन विगत सरकार 2018 में जो नई सरकार आई उनकी शुरूआती तौर पर ही मंशा थी कि इस प्रदेश में अवैध प्लाटिंग कैसे हो, इस प्रदेश में अराजकता कैसे आये, इस प्रदेश की संस्कृति कैसे नष्ट हो, उसके लिए सारे के सारे काम उस सरकार ने किये। इस सरकार ने पहला एक महीने में नोटीफिकेशन के द्वारा आर्डर दिया कि 5 डिसमिल खोली जाती है, बाद में एक्ट में परिवर्तन किया गया। सभापति महोदय, क्यों खोला गया? इसकी जरूरत क्या थी? जहां तक शहर की बात है, माननीय अजय चन्द्राकर जी विषय उठा रहे थे कि ये कृषि भूमि है और शहर में जो दुकान रजिस्ट्री होती हैं या और जो छोटी रजिस्ट्री होती हैं, वह सब डायवर्टेड होकर, कृषि भूमि है ही नहीं, शहर में कृषि भूमि कहां है? वास्तव में जो व्यापक मात्रा में अवैध प्लाटिंग होती थी, उसका संशोधन है, यह बहुत अच्छा संशोधन है। बाकी माननीय अजय

चन्द्राकर जी ने जिक्र कर दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैं धारा 110 (7) में इनने लिखा है कि पंजीयन विभाग के माध्यम से स्वत: नामांतरण हो जायेगा। माननीय मंत्री जी, इस पर आप विचार कर लीजिए। क्योंकि आप बोलते हैं कि इसमें कानूनी अड़चनें दूर होंगी, मैं कहता हूं कि वह बढ़ेगा। सभापति महोदय, आज अगर हम देखें तो हमारे यहां यह जब कारगर हो सकता है जब नक्शे के साथ रजिस्ट्री हो। इस प्रदेश में आज नक्शे के साथ रजिस्ट्री नहीं होती। आज जो भी रजिस्ट्री होती है, उस पर कोई न कोई dispute डाला जा सकता है। क्योंकि जब तक नक्शे के साथ रजिस्ट्री नहीं होगी, हम proprietary दे नहीं सकते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज भी पूरे प्रदेश का बटांकन हो नहीं पाया है। सभापति महोदय, जब मैं राजस्व मंत्री था, मैंने काफी प्रयास करके 90 प्रतिशत बटांकन का काम करवा दिया था जिससे नक्शे के साथ रजिस्ट्री हो सके। रजिस्ट्री आफिस से तहसील आफिस का लिंक हो सके और ऑटोमेटिकली उसका नामांतरण हो सके। लेकिन 3 जिले ऐसे थे, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में बटांकन का काम नहीं हो पाया। उसके बाद बहाना लिया गया। बहाना लिया गया कि जो राजस्व का स्केल है वह इतना छोटा है कि छोटे-छोटे टुकड़ों में जब जमीन बिकती है तो बटांकन में बड़ी दिक्कत जाती है। उसी समय एक आर्डर किया गया था, एक्जीक्यूटिव आदेश किया गया था, उसके स्केल को इन 3 शहरों के लिए बढ़ा दिया गया था। उस स्केल को बढ़ाने के बाद भी आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रदेश के 80 प्रतिशत से ज्यादा 20 प्रतिशत आज भी बटांकन बाकी हैं और अधिकारी ये कभी नहीं होने देंगे। उसका कारण है कि सारे पटवारी, आर.आई. का खेल उस बटांकन के कारण चलता है। यह जमीन आगे की पीछे कैसे करें, पीछे की आगे कैसे करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमर अग्रवाल जी, टंकराम जी की धनुष की टंकार आज गूंज रही है, उनका भारी बिजनेश है। एक से एक विधेयक हैं। आज जो चिंता जाहिर करे हैं, वह जोरदार निशाना लगायेंगे।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं, नहीं उनसे उम्मीद है और बोला भी वहां जाता है जहां हो सकता है और पहले भी जो संशोधन हुए हैं, 15 साल की हमारी सरकार ने ही किये हैं और आज भी कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप खुद उद्योगपति आदमी हो, छत्तीसगढ़ में डोनाल्ड ट्रंप को कैसे लाया जाये, आप यह बताना।

श्री अमर अग्रवाल :- मैं बताता हूं। एक्चुअल में क्या है कि हम तो नाम के उद्योगपति हैं, सही उद्योगपति कृषक का होढ़े हुए आप हो। (हंसी) सही उद्योगपति तो आप हैं । (हंसी) माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जब आपका बटांकन नहीं हुआ है, इसमें नक्शे के Digitization का भी प्रावधान है लेकिन जब तक यह पूरा बटांकन होकर Digitization नहीं हो जायेगा । आप यह जो रजिस्ट्री के साथ नामांतरण ला रहे हैं इसमें और विवाद बढ़ेगा । माननीय मंत्री जी, मैं एक सुझाव देता हूं कि आप यह ला तो रहे हैं, इससे पहले यह सारा बटांकन का काम पूरा करा लीजिये नहीं तो इसमें और

विवाद बढ़ेंगे । हम सब जानते हैं कि रजिस्ट्रियां कैसे होती हैं, कोई भी किसी की भी जमीन की रजिस्ट्री करा देगा और जो पिछले 5 साल में हुए और उनका नामांतरण स्वत: हो जायेगा और स्वत: होने के बाद वह कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटेगा क्योंकि हमारे यहां रजिस्ट्री कैसे होती है, वह भी विचारणीय प्रश्न है । मैं उसके बारे में अलग से चर्चा करूंगा ।

मानननीय सभापति महोदय, मेरा इसमें सुझाव है कि इस धारा के अंदर अगर रजिस्ट्री में स्वमेव नामांतरण करना है तो रजिस्ट्री से पहले जो नामांकन, चूंकि रजिस्ट्री हो जाती थी और जब नामांतरण के लिये केस जाता था उस समय 15 दिन का नोटिफिकेशन होता था कि क्या किसी को दावा-आपत्ति है ? इसको 15 दिन रजिस्ट्री के पहले अगर वह पेपर में पब्लिश कर दे कि यह-यह रजिस्ट्री होने वाली है और इसमें अगर किसी को दावा-आपत्ति है तो इस प्रदेश में यह जितने गोरखधंधे हैं, यदि दावा-आपत्ति होगी, अवैध रजिस्ट्री यह सब बंद हो जायेंगे । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिये । यदि एक्ट में जरूरत हो तो एक्ट में संशोधन कर लीजिये । अगर एग्जीक्यूटिव (executive) आदेश से होना हो तो मुझे इस धारा में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह तो एन.एल.आर.एम. का, भारत सरकार का 10 साल पहले का ही यह प्रोजेक्ट है और उसमें पैसा भी मिलता था कि रजिस्ट्री ऑफिस और तहसील ऑफिस लिंक होना चाहिए लेकिन वह बटांकन के कारण नहीं हो पाया लेकिन अब इसके बारे में फिर से विचार कर लीजिये अन्यथा आप अच्छे के लिये कर रहे हैं और इसके दुष्परिणाम सामने आयेंगे । अगर एग्जीक्यूटिव से हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 15 दिन का पहले कर दीजिये । यदि नहीं हो सकता, एक्ट में करना है तो एक्ट में संशोधन के साथ कर लीजिये, आप अधिकारियों से चर्चा कर लीजिये । माननीय सभापति महोदय, इसके बाद इसमें बहुत से अच्छे प्रावधान हैं । माननीय अजय जी ने बोला है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा ।

माननीय सभापति महोदय, एक विषय अनुसूची-4 में संशोधन । वर्तमान में गृह निर्माण मंडल और जो भवन क्रय करते हैं उसका जो डॉयवर्सन वाला है, फ्री होल्ड होने के बाद इसके बारे में किया, अच्छा काम है लेकिन सरकार के सामने यह भी विचारणीय प्रश्न है कि वर्ष 2013-14 में हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हाऊसिंग बोर्ड के जितने मकान हैं, आर.डी.ए. के जितने मकान हैं, डवलपमेंट्री के जितने हैं उसको फ्री होल्ड करेंगे लेकिन आज तक फ्री होल्ड नहीं हो पाया । क्यों ? वह इसलिये नहीं हो पाया कि उनको एडवांस पजेशन में जमीन दे रखे हैं । अभी तो जमीन ही उन संस्थाओं के नाम पर नहीं है तो आप किसका डॉयवर्सन करोगे ? उन संस्थानों के नाम से जमीन नहीं है । उस निर्णय के बाद जो वर्ष 2013-14 में अपनी सरकार ने किया था उसके बाद आपने कितना फ्री होल्ड किया और क्यों नहीं हो पाया ? जब आप उसकी जड़ में जायेंगे तो पायेंगे कि हाऊसिंग बोर्ड के नाम से एडवांस पजेशन में जमीन दे दी गयी । हाऊसिंग बोर्ड के नाम पर ही जमीन नहीं चढ़ी है तो कहां से फ्री होल्ड हो जायेगा, आप इन सारी बातों पर विचार कर लीजिये। एक्ट बनाना है, अच्छी बात है, स्वागत है । यह आपकी

बहुत अच्छी मंशा है । आप इसमें एक चीज और क्लियर कर दीजियेगा, आपने लिखा है कि औद्योगिक परिक्षेत्र का नई औद्योगिक नीति के नाते और यह डॉयवर्सन अपने आप स्वयं डिम मान लिया जायेगा, अच्छा काम है, यह होना चाहिए लेकिन एक चीज और क्लियर कर दीजियेगा कि यह जो डॉयवर्सन के रेट हैं उसकी गणना के लिये राज्य शासन में आता है । केवल गणना के लिये न, डॉयवर्सन करने का अधिकार एस.डी.एम. और कलेक्टर को है लेकिन उसके रेट निर्धारण के गणना की एक राज्य सरकार के पास अधिकार है । अगर आप उसको ऑटोमेटिक डिम डॉयवर्सन मान रहे हो तो उस क्लॉज को भी देख लीजिये कि क्या करना है, उसको भी ठीक करा लीजिये । वैसे पूरा विधेयक बहुत अच्छी भावना से आया है । छत्तीसगढ़ के लिए जो जमीन-जायदाद के प्रकरण हैं, बहुत कम होंगे। लेकिन माननीय सभापति महोदय, एक्ट बनाने से कुछ नहीं होता, उसके एग्जिक्यूशन में क्या-क्या दिक्कत है, बाद में क्या दिक्कत आएगी? इन सारी बातों पर विचार कर लें। मैंने दो बातों का जिक्र किया है, हाउसिंग बोर्ड, आर.डी.ए., जमीन जो आपको ट्रांसफर करनी है, उनके नाम से नहीं करना है, जल्दी फ्री होल्ड करा दीजिए। दूसरा मैंने जो रजिस्ट्री के बारे में कहा कि जो सीधे नामांतरण कर रहे हैं, इसके 15 दिन पहले रजिस्ट्री होने से पहले compulsory कर दीजिए कि किसी को दावा आपत्ति तो नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं, उसके बाद इस प्रदेश में जितने भी लिटिगेशन है और तीसरा एक अनुरोध और कर रहा हूं कि आज भी रजिस्ट्री proprietary नहीं है। proprietary जब ही मानी जाती है, जब मैप के साथ रजिस्ट्री हो। बहुत जल्दी मैप के साथ रजिस्ट्री छत्तीसगढ़ में हो, इस दिशा में आप काम करेंगे। मैं इस विधेयक का बहुत अच्छे से समर्थन करते हुए सरकार की प्रशंसा करता हूं। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में संशोधन का जो विषय अभी प्रस्तावित हुआ है, निश्चित ही उसको जितना हमने पढ़ा है, जितना जाना है, स्वागत योग्य है और यह इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि भू-राजस्व का जो विषय है या जो भू राजस्व के जो प्रकरण आते हैं, वह बहुत जटिल प्रक्रिया है और अधिकतर होता यह है कि लोगों को समझ नहीं आता जब तक कि वह चार बार कार्यालय का, तहसील कार्यालय का, एस.डी.एम. कार्यालय का या पटवारी का चक्कर न काट लें, दो, चार, छः, आठ महीने घूम न लें, उन्हें वह प्रक्रिया शायद समझ में नहीं आती कि कैसा होगा, क्या होगा। तो अभी जो संशोधन आए हैं, निश्चित ही वह बहुत स्पष्टता के साथ रखे गए हैं। आदरणीय मंत्री महोदय जी से कल मेरी चर्चा भी हुई कि मैं एक बार इसको बोलने के पहले समझना चाह रही थी कि कैसा क्या संशोधन आएगा, क्या इसकी प्रक्रिया है तो जिस स्पष्टता के साथ उन्होंने विषय को समझाया तो काफी सारी चीजें बहुत क्लियर हुईं। क्योंकि महोदय जी, राजस्व का विषय आज क्योंकि हम नए सदस्य हैं, काफी सारी चीजें, काफी सारे संशोधन हमारे लिए नए रहते हैं तो विषयों को समझने के लिए हमें थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इस

तरीके से कल जो विषय मेरे सामने आया, उनको ही लेकर कुछ बातें मैं यहां सदन के सामने रखना चाहूंगी। महोदय जी, सबसे पहला विषय हमेशा सुनते आते हैं कि अवैध प्लॉटिंग होती है। अवैध प्लॉटिंग का जब हम यह शब्द सुनते हैं तो यह पता नहीं चलता कि अवैध प्लॉटिंग आखिर होती क्या है। लेकिन कल जब मैंने इस विधेयक को और संशोधन को पढ़ा तो मुझे यह पता चला कि पांच डिसमिल से कम की जमीन का, जिसका डायवर्सन भी जरूरी नहीं होता, एक एकड़ जमीन को अगर आप डिवाइड कर देते हैं और उसको प्लॉटिंग के रूप में उसको बेचते हैं, न उसका डायवर्सन करना पड़ता है, न कुछ होता है तो इससे दिक्कत यह आती थी कि एक तो राजस्व में नुकसान होता था। दूसरा यह कि अवैध प्लॉटिंग का सिस्टम था, वह लगातार बढ़ता जा रहा था। जिस तरीके से कृषि भूमि को प्लॉटिंग के रूप में बनाकर बहुत लंबे चौड़े प्लॉट को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट करके उसकी रजिस्ट्री हो रही थी तो यह निश्चित ही मुझे लगता है कि काफी सराहनीय पहल है। अवैध प्लॉटिंग की जो दिक्कत है, पांच डिसमिल से नीचे की प्लॉटिंग अब आप नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि यह बहुत स्वागत योग्य संशोधन है और निश्चित ही इससे हमारे राजस्व को भी फायदा होगा। साथ में महत्वपूर्ण विषय ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्पेशली किसानों की बात करूं या मैं गरीब परिवार की बात करूं, अगर उनके परिवार में, उनके पिता की या फिर जिनके नाम में जमीन थी, जब उनकी आकस्मिक मृत्यु होती थी तो सबसे ज्यादा दिक्कत फौती उठाने की आती थी और फौती उठाने के लिए कभी-कभी साल भर वह पटवारी के, तहसील कार्यालय के चक्कर काटते थे। लेकिन अब चूंकि जीवित रहते हुए आप अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं और अगर आकस्मिक मृत्यु होती है तो सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर उसके उत्तराधिकारी के नाम में वैधानिक रूप से वह जमीन आ जाती है। मुझे लगता है कि यह भी पहल बहुत ही स्वागत योग्य है। उसके अलावा अगर शहरी क्षेत्रों की बात करूं, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से सोसाइटियां बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से फ्लैट का कल्चर हमारे शहरी क्षेत्रों में चाहे रायपुर, बिलासपुर, अन्य जगहों की बात करूं। जिस तरीके से सिस्टम डेवलप हो रहा है, कहीं न कहीं आज भी जब हम फ्लैट में रहते हैं तो हमारे बुजुर्ग जो बोलते हैं कि इसमें तो जमीन हमारी नहीं है। प्लॉट है, एक मकान है, चार कमरे का घर है, यह हमारे नाम पर है, लेकिन हमारी जमीन कहां है, हमारा आधार कहां है? तो मुझे लगता है कि वह विषय बहुत अच्छे से संशोधन में लिया गया है कि अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं और वहां की जमीन पर पहले आपका अधिकार नहीं होता था, जमीन आपके नाम पर नहीं होती थी, तो अब संशोधन में ये चीजें आई हैं कि जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, भले आपका फ्लैट पहली मंजिल पर छठवें मंजिल पर हो, लेकिन जहां से उसके आधार की शुरुआत है, जो जमीन है, उस जमीन पर सिर्फ बिल्डर का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि उस फ्लैट में जो रहने वाले हैं, उनकी भी उसमें हिस्सेदारी होगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सोच के साथ यह पहल की गई है । मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत से विषय रखे हैं लेकिन दो महत्वपूर्ण विषयों की

ओर मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी । अगर मैं ट्रायबल बेल्ट की ज़मीनों की बात करूं, ट्रायबल बेल्ट में यदि किसी नॉन ट्रायबल व्यक्ति की ज़मीन है तो आज भी उस ज़मीन को बेचने के लिए या वहां कुछ व्यवसाय चालू करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कलेक्टर से आज भी परमीशन की ज़रूरत होती है । मेरा निवेदन है इस संबंध में कुछ स्पष्ट नियम आ जाएं । ट्रायबल बेल्ट में यदि किसी नॉन ट्रायबल व्यक्ति की ज़मीन है तो उसमें भी कुछ सुझाव लेकर संशोधन किया जाए, जिससे कि व्यक्ति कलेक्टर दफ्तर के चक्कर लगाने से बच जाए । दूसरा, सीमांकन/बटांकन में बहुत स्पष्टता के लिए जिस तरह से जियो टैग किया जा रहा है या आगे जो भी रिफ्रेंस लिया जा रहा है लेकिन दिक्कत वहां आती है, जहां एक एकड़ ज़मीन है और उसको यदि दो हिस्से में बांटा जाता है तो निश्चित ही 1/2, 1/3 जिस तरीके से भी उसका बटांकन होता है, लेकिन उस बटांकन में आज भी, जब मैपिंग करने जाते हैं तो आज भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न बने रहते हैं । इसलिए बटांकन का सिस्टम भी क्लीयर होना चाहिए । यदि कोई परिवार है और उनकी ज़मीन दो हिस्से में बंटी है तो मैपिंग के माध्यम से उनकी स्थित स्पष्ट रहे कि कौन सी ज़मीन किसके नाम पर है । यह संशोधन बिल स्वागत् योग्य है । मेरा निवेदन है कि जिन दो विषयों की ओर हमने ध्यान आकर्षित किया है, भविष्य में इन पर भी कोई योजना बने तो अच्छा होगा । इस विधेयक को समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं, धन्यवाद् ।

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक ।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, सारे विषय आ गए हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए ।

सभापति महोदय :- ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री टंकराम वर्मा जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 लाए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं । जिस प्रकार से आम लोग कठिनाइयों के कारण न्यायालयों के चक्कर लगाते रहते थे और उनका पूरा परिवार परेशान होता था । इस बात को देखते हुए यह संशोधन लाया गया है । इसमें सबसे पहले धारा 70 का संशोधन है । इसके बारे में कहना चाहता हूं कि इसके पहले जब हमारी सरकार थी और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो उस समय यह विषय ही नहीं था और जब कांग्रेस की सरकार आई तब यह 5 डिसमिल वाला विषय लाया गया और उसके कारण जिस प्रकार से हमने उन 5 सालों में देखा और अभी भी देखा कि जिस प्रकार से इसका आवंटन और कार्य हुआ है उसके कारण पहले से जो व्यवस्थित प्लान बनाकर चल रहे थे उसमें गड़बड़ियां आईं । क्योंकि कोई भी अवैध प्लॉट बना दिया, कोई मंजूरी नहीं, न वहां नाली की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न खंभे की व्यवस्था, न ड्रेनेज की व्यवस्था । जहां जिसको आसानी लगी उसने वहां बेचना प्रारंभ किया । इस तरह पहले से बनी हुई व्यवस्था थी उसको ध्वस्त करने का काम किया गया । इसके कारण यह तो

संशोधन लाया गया है यह बहुत अच्छा है, इससे सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी । मुझे लगता है कि लोगों को सुविधाएं भी होंगी, मैं इसका समर्थन करता हूं । 107 में जो संशोधन लाया गया है उसमें जो सर्वे और रि-सर्वे के पश्चात् रिफरेंस नक्शे की अधिमान्यता के लिए लाया गया है । अभी आने वाले समय में उसकी उपयोगिता हम सबको दिखेगी और उसका लाभ आम लोगों को मिलेगा । 110 में नामांतरण की जो प्रक्रिया है, सामान्यत: प्रक्रिया यह है कि उनको कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने एक जमीन खरीदी, रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री कराने के बाद जब नामांतरण की प्रक्रिया आती है, उस समय उनको सूचित करना पड़ता है, जब तक वह कोर्ट में खड़ा न हो, तब तक नामांतरण संभव नहीं है। यह जो देरी होती थी, इसके लिए प्रावधान लेकर आए हैं कि रजिस्ट्री होने के बाद स्वत: ही उसका नामांतरण हो जाएगा। माननीय अमर अग्रवाल जी ने उस पर अपने विचार व्यक्त किए कि उसमें आने वाले समय में क्या कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती है। हम भी देख रहे हैं कि गांवों में या शहरों में एक-एक जमीन की तीन बार या चार बार रजिस्ट्रियां हो रही हैं, जमीन कहां पर है, उनको यही नहीं मालूम है। रजिस्ट्री होने के बाद जब वह जमीन देखने जाता है, तब उनको पटवारी बताते हैं कि साहब यहां पर तो आपकी जमीन ही नहीं है। वह डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि मैंने ये रजिस्ट्री कराई है, आपने रजिस्ट्री कराई है लेकिन मौके पर आपकी जमीन नहीं है, यह स्थिति खरीदी के बाद की है। जब नामांतरण ऑटोमेटिक हो जाएगा तो उसके बाद किसकी जमीन को किसने बेच दी, जमीन बेचने के बाद उसका नामांतरण हो गया, मूल जमीन मालिक है, वह जमीन ढूंढते रहेगा, कोर्ट मे जाते रहेगा, पेशी लड़ता रहेगा तब उनको बताएंगे कि इसका नामांतरण हो गया है, आपको केस लड़ना पड़ेगा। फिर वे उसके लिए अदालत का चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें क्या क्लेरीफिकेशन हो सकता है, मंत्री जी को देना चाहिए जिससे लोगों को सुविधा के बजाए असुविधा न हो। जैसे इसमें एक परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद जब उस जमीन का नामांतरण होता है तो वह जमीन परिवार के उपर आता है, जो वैध वारिसान है, उसके लिए उनको आवेदन देना पड़ता है, आवेदन देने के बाद उनकी पेशियां चलती हैं, पेशी चलने के बाद फिर वह दो साल, तीन साल का चक्कर लगा रहे हैं, वह जो जमीन पूर्वज के नाम से है, वह उनके नाम से चढ़ जाए। मैं समझता हूं कि इसका फायदा लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसमें विवाद की स्थिति नहीं है। जो वैध वारिसान है, उनके हक में आ जाएगा और उसके बाद फिर वह अपना बंटवारा कर सकते हैं। एक बार नामांतरण होने के बाद जो भी परिवार में हिस्सेदारी होना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसका समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, धारा 164, भूमि स्वामी अपने जीवनकाल में ऐसी रीति से जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, समस्त विधिक वारिसानों को राजस्व अभिलेखों में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध करवा देगा। अपने जीते जी, जो उनके वारिसान हैं, उनके नाम से उस जमीन को दर्ज करवा सकते हैं। इसके माध्यम से उनके खाते में सभी के नाम आ जाएंगे। धारा 164 में बहुत अच्छा संशोधन

किया गया है। धारा 172 में जो संशोधन हुआ है, यह कृषि प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए है। धारित भूमि का भूमि स्वामी अपने खाते या किसी भाग को सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहते हैं, वह विहित रीति से सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा, अधीन अनुज्ञा दे सकेंगे, अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा, इसमें संशोधन लाया गया है। इसमें मुख्य रूप से चाहे वह नगर निवेश का मामला हो या उसमें किफायती जन आवास प्रचलित औद्योगिक नीति को चिन्हांकित किया गया हो, चिन्हांकित करने के बाद यह संशोधन लाया गया है। जो कृषक कराना चाहते हैं, मंत्री जी के द्वारा यह जो संशोधन लाया गया है, उसको विहित रीति से पुनर्निर्धारण कर सकेगा। अभी जो अनुसूची की चर्चा हुई है, उसमें योजना, योजना प्रविष्टियां पुर:स्थापित किया जाए। इसमें सिंचाई रोड जैसे अन्य प्रयोजन के लिए जो अधिकृत भूमि है, आज भी राजस्व रिकॉर्ड में सुधार नहीं होने से इनका दुरूपयोग हो रहा है। जिसका पहले Land acquisition हुआ और Land acquisition होने के बाद जो संशोधन होना चाहिए, वह संशोधन नहीं हुआ और संशोधन नहीं होने के कारण से या तो लोग उसको resell कर देते हैं। resell करने के अलावा भी उसको purchase करने वाले जो लोग होते हैं तो इस प्रकार के लोगों को इसमें असुविधा होती है। उनको यह नहीं मालूम होता है कि यह जमीन acquire कर ली गयी है। चाहे वह सिंचाई विभाग के द्वारा डेम बनाने के लिए acquire की गई हो, चाहे सड़क बनाने के लिए acquire की गई हो या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए acquire की गयी हो तो निश्चित रूप से ऐसी जो जमीन अधिग्रहित की गई है, एक समय के बाद उनके रिकॉर्ड का दुरूस्तीकरण होना चाहिए। जब उनके रिकॉर्ड दुरूस्त हो जाएंगे तो वह जमीन शासन के नाम पर आ जाएगी और शासन के नाम पर आने के बाद उस जमीन को बेचने का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन आज जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं तो ऐसे मामले आने के कारण दिक्कतें आती हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें लाई हैं, मुझे आशा है कि वह उन पर जरूर विचार करेंगे। इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री अनुज शर्मा जी।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति जी, मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने सभी विषयों पर बड़ी गंभीरता और बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं सच कहूं तो यह संशोधन विधेयक ease of living को चरितार्थ करने वाला संशोधन विधेयक है। सन् 1959 से लेकर अब तक व्यावहारिक रूप से समय के साथ इसमें जो परिवर्तन आना चाहिए, वह संशोधन विधेयक लेकर आया गया है। इसमें सभी सदस्यों ने चर्चा की है, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि हम जन प्रतिनिधियों के लिए यह बड़ा लाभप्रद संशोधन है। होता यह है कि अवैध प्लॉटिंग होती है और एक unorganized colony बन जाती है। जहां पानी किस तरफ जाएगा, कैसी सड़कें होंगी, बिजली की क्या व्यवस्था होगी, इन सब बातों को दरकिनार करके सिर्फ अपने मुनाफे के लिए कुछ काम करके लोग मुनाफा कमाकर चले जाते हैं और वह मासूम

लोग, जिनको महंगी जमीन की जगह थोड़े सस्ते में जमीन मिलती है, वह उसको खरीद लेते हैं और एक unorganized colony में रहने लग जाते हैं। जिससे वहां बिजली, पानी व सड़क की जो समस्या होती है, उन सारी समस्याओं की जिम्मेदारी जन प्रतिनिधियों के ऊपर आ जाती है और यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि वह colonizer भाग चुका होता है। ऐसे मामले में यह संशोधन जरूर अंकुश लगाएगा। व्यावहारिक रूप से मुझे लगता है कि इसके बाद यह काम हम लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। माननीय सभापति जी, मैं ज्यादा बात न कहते हुए केवल यही कहूंगा कि जब भी हमारे पास लोग आते हैं तो उनकी मुख्य समस्या होती है- मोर बटांकन नइ होहे, सीमांकन नइ होहे, नामांतरण नइ होहे, फउती नइ उठे हे, सब इहीच बात करत हमर करा आथे। एखर ले हमर प्रदेश के जनता मन ला ए समस्या ले थोड़ा आराम होही अऊ अधिकारी-कर्मचारी मन ला भी आराम होही। एमा एक बात अऊ हे कि जो पारिवारिक विवाद हे, ओखर संख्या में भी कमी आही, काबर कि जेन जीवित रहत ले अपन वारिस मन के नाम में प्रॉपर्टी ला चढ़ा दिही अऊ बाद में सिर्फ मृत्यु प्रमाण दे से उखर नाम में ओहा नामांतरण भी हो जाही। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करहूं कि एमा एक समय के मर्यादा होना चाहिए कि अतका दिन के अंदर यह प्रक्रिया हा पूर्ण हो जाए। यह सब जो प्रक्रिया हें, ओला एक समय के मर्यादा में भी बांधे के आवश्यकता मोला नजर आथे। ताकि अधिकारी-कर्मचारी में एक बाध्यता हो कि ओमन कोई काम ला एक लिमिटेड समय तक ही रोक के रख सके, बाकी निर्धारित समय में ए काम ला execute करे जाएं। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करहूं कि ये जतका संशोधन हें, ओ जब धरातल में उतरें तो वह व्यावहारिक रूप से लाभप्रद रहें। मैं अतका भर बोलहूं कि ए संशोधन सिर्फ कोई advantage ले बर मत रहाए। बाकी सब जतका संशोधन हें, ओखर मैं समर्थन करत हो अऊ सदन से आग्रह भी करहूं कि ध्वनि मत से एला पास करें। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग द्वारा संशोधन विधेयक लाया गया है, उस पर हमारे वरिष्ठ विधायकों का बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुआ, इस विषय पर मार्गदर्शन मिला। हमारे वरिष्ठ विधायक सम्माननीय अजय चन्द्राकर जी, माननीय अमर अग्रवाल जी, माननीय श्रीमती भावना बोहरा जी, माननीय धरम लाल कौशिक जी और माननीय श्री अनुज शर्मा जी का कीमती सुझाव मिला है। पूर्व में राजस्व विभाग की जिम्मेदारी निभा चुके माननीय अमर अग्रवाल जी, जो इस विभाग के ज्ञाता हैं, वे इसके अनुभवी हैं, से भी बहुत अमूल्य सुझाव आया है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को उपलब्ध कराई गई सभी शासकीय योजनाओं का लाभ उनको मिले, उसके लिए minimum government maximum goverence की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु प्रशासनिक प्रावधानों के सरलीकरण पर जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा ease of doing business से ease of

living की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए सभी शासकीय योजनाओं का चालू किया जा रहा है। राज्य के हमारे मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन तथा zero tolerance for corruption के मूलमंत्र अनुसार भू-राजस्व संहिता के प्रावधान में राज्य के नागरिकों को राजस्व सम्बन्धी प्रक्रिया को सहज और सुलभ बनाने हेतु प्रक्रियात्मक सुधार लाए जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के 17-18 महीने के कार्यकाल में छत्तीसगढ़वासियों को भू-राजस्व मालिकों को सहज और सरल प्रक्रिया अपनाना पड़े, इसके लिए बहुत से क्रान्तिकारी कदम उठाए गए हैं। इसमें कई संशोधन भी हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में अद्यतन संशोधन करना आवश्यक हो गया है। प्रस्तावित संशोधन के महत्वपूर्ण बिन्दु जिसमें, हमारे माननीय विधायकों ने चर्चा की और प्रस्तावित संशोधन पर सहमति प्रदान की है। धारा 70 में पूर्व में हमारे भा.ज.पा. सरकार के समय 5 डिसमिल से नीचे की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद धड़ल्ले से 5 डिसमिल से नीचे की जमीन की रजिस्ट्री करवाया, जिसके कारण पूरे प्रदेश में अवैध प्लाटिंग शुरू हो गया था। जगह-जगह समस्याएं आ गईं। अभी धारा 70 में जो संशोधन किया जा रहा है, उसके अनुसार 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि का रजिस्ट्री नहीं होगा। माननीय अजय चन्द्राकर जी संदेह व्यक्त कर रहे थे कि इसमें शहर की भूमि का क्या होगा। शहर में 5 डिसमिल से कम की जमीन का रजिस्ट्री होता है तो वैसे कृषि भूमि शहर के बाहर रहता है, उसमें रजिस्ट्री प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन शहर में डायवर्टेड भूमि जो व्यवसायिक एवं आवासीय होता है, उसका रजिस्ट्री हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय धारा 107 में जो संशोधन है, वह जियो रिफरेन्सड नकशे तैयार किये जा रहे हैं, जिसके आने से सीमांकन, बटांकन के सारे विवाद समाप्त हो जायेंगे। अभी हमारे प्रदेश में cadastral map पटवारी लेकर घूमते रहता है। उसकी जगह जियो रिफरेन्सिंग नक्शा, डिजीटल मैप तैयार होगा। पूरे प्रदेश में जियो रिफरेन्सिंग का काम चल रहा है, लेकिन विधिक मान्यता नहीं थी। इसलिए यह विधेयक आया है। इस विधेयक के माध्यम से जियो रिफेरेन्सिंग का डिजीटल मैप को मान्यता मिलेगी, उसके हिसाब से काम होगा। भविष्य में नक्शा, बटांकन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय धारा 110 की उप धारा 7 में रजिस्ट्री के साथ स्वत: नामान्तरण हो जाता है। इसके पहले रजिस्ट्री के बाद ईश्तहार जारी होता था, क्रेता-विक्रेता को बुलाते थे, ईश्तहार जारी होने के बाद दावा-आपत्ति होता था और उसके बाद नामान्तरण होता था। अभी डिजीटल क्रान्तिकारी कदम उठाने के बाद रजिस्ट्री के साथ नामान्तरण हो जाता है। उसमें यह बदलाव हुआ है। रजिस्ट्री के बाद नामान्तरण हो जायेगा। क्रेता-विक्रेता को नामान्तरण के लिए बुलाना नहीं पड़ेगा।

माननीय सभापति महासेदय, दूसरा इसमें यह है पहले रजिस्ट्री से नामान्तरण केवल खरीदी-बिक्री जमीन का होता था, लेकिन जो दान की भूमि है, हक छोड़ त्यागनामा है, उसका कभी नामांतरण नहीं होता था, जिस कारण वह जमीन विवाद में ही रहता था। अब उनकी दान में दी हुई जमीन और जो

हक त्यागनामा है, उनका भी नामांतरण इस संशोधन विधेयक में होगा। धारा 110 में नवीन उप धारा जोड़ी जा रही है, जिसमें भूमि स्वामी अपने स्वामित्व की भूमि पर अपने जीते जी अपने वैध वारिस के नाम अभिलेखों में दर्ज करा सकता है। पहले मरने के बाद उनका फौती उठता था, फौती उठने के लिए दावा आपत्ति हेतु इस्तेहार जारी करते थे। उनके बच्चों को बुलाते थे, फिर उसके बाद भूमि उनके नाम में दर्ज होता था। लेकिन अब कोई भी भूमि स्वामी अपने स्वामित्व के जमीन को जीते जी अपने बच्चों के नाम पर दर्ज करा सकता है। धारा 110 में निहित प्रावधान के अंतर्गत बहुमंजिला भवन कॉलोनी परियोजना में धारित भूखण्ड भवन में भूमि के धारकों को उनके भूखण्ड भवन के अनुपात में नामांतरण प्रक्रिया पूर्ण की जा सकी है, जिससे भूमिवाद में कमी आएगी। जितने भी builders हैं, जो कॉलोनी develop करते हैं, बहुमंजिला मकान बनाते हैं। वे flats बेचते हैं, flat तो खरीदने वाले के नाम पर रहता है, लेकिन जमीन builder के नाम पर ही रहता है। इस संशोधन से जमीन भी flat के क्रेता है के नाम पर हो जाएगी। मान लीजिए कि 10,000 स्क्वेयर फीट जमीन है, उसमें 10 मंजिला मकान बना हुआ है तो उस मकान के साथ 10,000 स्क्वेयर फीट जमीन भी सामानुत्विक रूप ये उन क्रताओं के नाम पर रहेगी। यह बहुत बड़ा संशोधन है। (मेजों की थपथपाहट) कॉलोनी में जो develop होगा, चाहे वह गार्डन हो, चाहे मनोरंजन के स्थान हो, भवन हो, उस एरिया में जितना जमीन रहेगा, वह सभी सामानुत्विक रूप से वहां पर बसने वाले क्रेताओं के नाम पर दर्ज होगा। पिछले समय यह होता था कि builder जमीन की plating कर देते थे, लेकिन उसमें रोड उनके नाम पर रहता था, गार्डन उसके नाम पर रहता था तथा गार्डन में जो छोड़े हुए जगह है, उसी में वह कॉम्प्लेक्स बना देते थे, रोड को बेच देते थे। ये सभी समस्याएं संशोधन में ठीक हो जायेंगी।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय मंत्री जी, आप यह जो बोल रहे हैं, उस पर विचार कर लीजिएगा। अगर निस्तारी जमीन मनोरंजन की या सड़क की या ले-आउट के पास की यूटिलिटी है, उसको अगर आप क्रेताओं के नाम से कर दिये तो क्रेता उसको कभी भी बेच सकता है। जो एक निस्तार पत्रक है, जिसमें रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, वह गवर्नमेंट की लैंड हो जाती है। क्योंकि आप उनके नाम से कर दिए तो वे भी कल बेच देंगे। अभी वही हो रहा है। अभी builder बेच रहा है, बाद में क्रेता बेचेगा। उसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि वह जमीन उसके नाम पर चढ़ी हुई है। आप इस पर विचार कर लीजिएगा। मेरे समय में मैंने आदेश किया था कि जितने ले-आउट पास हुए हैं, automatically राजस्व विभाग जितने भी सड़क हैं, मंदिर की जमीन हैं, उसको निस्तार पत्रक में चढ़ा दें। निस्तार पत्रक में चढ़ने के बाद उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर भी पुनर्विचार कर लीजिये, नहीं तो नई समस्या पैदा होगी।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, वहां पर जितने रहवासी हैं, जो क्रेता हैं, उन सभी के नाम पर समानुत्विक रूप से रहेगा। किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं रहेगा। सोसायटी उनके नाम पर रहेगी।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी की मंशा तो अच्छी है, लेकिन उनकी मंशा किसकी, जिनकी सोसायटी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब उनकी मंशा अच्छी है तो आप लेकिन क्यों लगा रहे हैं? उनकी मंशा सदैव अच्छी रही है।

श्री राजेश मूणत :- वह जो बोल रहे हैं, उस चीज को आप समझिये। मंत्री जी, मेरा आपसे इतना आग्रह है कि यदि सोसायटी के नाम पर रजिस्ट्री रहेगी तो पुराने जितने भी सोसायटियां हैं, यह आपको भी मालूम है कि कई जगह की जमीनों को सोसायटी के अध्यक्ष लोग बेच दिए हैं। इसलिए सामान्यत: अगर वह जमीन निस्तार पत्रक में दर्ज रहेगी तो वह किसी के नाम पर नहीं रहेगी। वह जमीन स्थायी रहेगी, वह सरकार की ही जमीन रहेगी। गार्डन हमेशा गार्डन रहेगा, खेल मैदान खेल मैदान रहेगा, सामुदायिक भवन सामुदायिक भवन रहेगा। वह दर्ज रहेगा, नहीं तो कई जगह पुरानी सोसायटियों में हम लोगों को आज तक देखने को मिल रहा है कि वह बेच खाते हैं, जितनी भी को-आपरेटिव सोसायटियॉ है, सभी जगह यही झमेला है, इसलिये इस पर चिंता जरूर करें ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी बोलिये ।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इस धारा में सभी जो कॉमन एरिया है, मैं जिसकी चर्चा कर रहा था । यह अविभाजित टाईटल के रूप में सभी में दर्ज हो सकेगा । धारा 164 के संशोधन में, मैं जिसका जिक्र पिछले 110 के संशोधन में कहा था, धारा 164 उसी से रिलेटेड है कि कोई भी भूमि स्वामी जीते-जी अपने वैध वारिसों का नाम अपने रिकार्ड में दर्ज करा सकता है । धारा 164 में यह व्यवस्था है कि जो दर्ज कराये रहेगा, उस जमीन का नामांतरण मृत्यु ऊपरांत बच्चों में आटोमैटिक हो जायेगा, इसलिये यह संशोधन है । सभापति महोदय, धारा 172 में संशोधन है कि प्रचलित औद्योगिक नीति को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक क्षेत्र किफायती जन आवास नियम 2025 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अनुरूप स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अंतर्गत भूमि स्वत: व्यपवर्तित हो जायेगी । इससे आवासीय और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, अत: यह संशोधन लाया गया है । अनुसूची 4 में वर्तमान गृह मंडल जिसका जिक्र माननीय अमर अग्रवाल जी ने किया कि फ्री होल्ड आज तक नहीं हो पाया है, यह वर्ष 2012-2013 और वर्ष 2014 का है। पहले जो गृह निर्माण मंडल को आबंटित होता था तो उस जमीन में केवल गृह निर्माण मंडल लिख दिया जाता था । जमीन कृषि भूमि है या चारागाह की भूमि है, जैसी भी है जमीन मूलत: रिकार्ड में वही रहता था, केवल गृह निर्माण मण्डल रायपुर लिखा जाता था । अब के संशोधन में गृह निर्माण मंडल को आवंटित भूमि यह लिखा जायेगा ।

गृह निर्माण मंडल को आवंटित भूमि लिखने से वह जमीन उनकी स्वयं की हो जायेगी । रजिस्ट्री करने में यदि कोई क्रेता है, थर्ड पार्टी को बेचता है, उनको डायवर्सन के लिये चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा । यह एक बहुत बड़ा संशोधन है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, यह आपका आखिरी संशोधन है, मैं कुछ बात बोल देता हूँ । माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी सदन में है, आपके सचिव साहब भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं । आप जितने भी भू-राजस्व संहिता, आर.बी.सी. में और राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन कर लीजिए, हम लोग गांवों में रहते हैं, जब तक नायब तहसीलदार से लेकर तहसीलदार और राजस्व मंडल तक, जो राजस्व न्यायालय होता है । उस न्यायालय का समय और अवधि जब तक निर्धारित नहीं करोगे कि आपको दो दिन बैठना है और दिन भर बैठना है, तब तक आप राजस्व मामलों में लाख निर्देश जारी कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है । राजस्व न्यायालय के निराकरण की निरंतरता इस प्रदेश में है ही नहीं ? सभापति महोदय, मैंने एक सुझाव दिया था कि पूरे 33 जिलों में प्रोटोकॉल अफसर नियुक्त कर दीजिए, जो मंत्रियों के दौरे में रहे, वी.आई.पी. दौरे में रहे, सारे कागज को एकत्र कर कलेक्टर को दे दें, आपको सिर्फ 35 पोस्ट ही चाहिये, लेकिन हम इतना संशोधन इतना कानून बना दें कि चुपचाप भेष बदलकर जाईये ना कि कोर्ट में तहसीलदार कितने दिन बैठता है, कलेक्टर कितने घंटे बैठता है, कोर्ट में संभाग आयुक्त कितनें दिन बैठता है और राजस्व न्यायालय कितने दिन लगते हैं ? सभापति महोदय, परिपत्र जारी करने के बजाय व्यावहारिक चीजें करिये । उससे जो चिंता है, सरकार की छवि इतनी अधिक बनेगी, किसी भी विषय से सबसे ज्यादा राजस्व मामलों में सरकार की छवि बनेगी, आप यदि मेंडेटरी करेंगे ? हम 25 साल में इतने संशोधन देख रहे हैं कि इसकी कोई कीमत नहीं है और आज तक राजस्व मामले ज्यौं का त्यौं है, जड़ यह है । राजस्व न्यायालय समय में, दिन में, पूरे समय काम करे, इसके साथ-साथ यह भी चिंता करें।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप भी समाप्त करें ।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक की चिंता सही है । मुझको ध्यान है कि पिछले बजट सत्र में वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी जी से चर्चा हुई थी और 15 अतिरिक्त तहसीलदार देने की बात हुई थी, जो प्रोटोकॉल का काम देखेंगे ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप आसंदी की ओर देखकर बोलिए ।

श्री टंक राम वर्मा :- सभापति महोदय, जितने भी संशोधन आज लाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बहुत से संशोधन और बहुत से अच्छे कार्य हमारे राजस्व विभाग में हो रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि लोगों को सरलता और सहजता से सेवाएं मिले । आज के संशोधन विधेयक से जन साधारण की समस्याओं में कमी आएगी तथा निर्धारित समयावधि में निश्चित रूप से कार्य पूर्ण होने में आम जनता के समय की भी बचत होगी । इससे आम जनता को लाभ

मिलेगा। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज जो संशोधन लाए गए हैं, इसे ध्वनिमत से पारित किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) पारित किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(4) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय सभापति महोदय, मुझे छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर बोलने का सौभाग्य मिला है । माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से ज्ञान एवं अनुसंधान की व्यवस्था को उच्च शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करते हुए शासन ने लगातार भू-मण्डलीयकरण के इस दौर में उच्च शिक्षा के समानुरूप आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया है । आपके नेतृत्व में लगातार एक क्रांति आई है । विष्णु देव साय जी की सरकार सुशासन की सरकार इस बात को प्रमाणित करता है कि जिस प्रकार से निजी विश्वविद्यालय की क्रांति जो हमारी सरकार में आई है, यह स्वागतयोग्य है । इसके माध्यम से हमारे प्रदेश के छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा में प्रगति हुई है और राज्य शासन अपने भागीरथ प्रयास के अंतर्गत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में नये कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं चाहे वह अशासकीय महाविद्यालय की बात हो, शासकीय महाविद्यालय की बात हो, निजी विश्वविद्यालय की बात हो या फिर राज्य विश्वविद्यालय की बात हो, इसमें क्रांति आई है और इस क्रांति में आपका ध्यान प्रदेश के शिक्षा के स्तर को लगातार आगे बढ़ाने का रहा है। माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार से शिक्षा की क्रांति आई है, ये हमारे विकसित भारत को भी दिखाता है। जब वर्ष 2047 में छत्तीसगढ़ विकसित बनेगा, तो भारत विकसित भारत की ओर बढ़ेगा, तो राष्ट्र निर्माण में हमारी सहभागिता रहेगी। माननीय विष्णु देव साय जी के पवित्र उद्देश्य, शिक्षा के प्रति क्रांति को ये स्थापना और संचालन (संशोधन) विधेयक दिखाता है कि वे इस पूरे विषय पर कितने गंभीर हैं। जब से यह विधेयक आने की चर्चा हुई है, तो निश्चित रूप से यह सभी प्रदेशवासियों की चर्चा का विषय है कि शिक्षा के प्रति माननीय विष्णु देव साय जी की गंभीरता है, सुशासन है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि पिछले विधेयक में मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक निजी विश्वविद्यालय रूंगटा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। मुझे लगता है कि आज प्रदेश के हर विधान सभा क्षेत्र के जितने विधायक हैं, उन सभी के क्षेत्रों में भी इसका लाभ मिल रहा है। जिलेवाईज़ भी इसका लाभ मिल रहा है। मुझे जहां तक जानकारी है कि लगभग 321 अशासकीय महाविद्यालय हैं, 18 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हैं एवं 09 राज्य विश्वविद्यालय हैं। निश्चित रूप से मैं इस सम्मानित सदन के सभी लोगों से

निवेदन करूंगा कि नए विश्विवद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तुत इस स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का कष्ट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कल निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में बहुत सारी बातें कहीं थीं। जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ के सामने क्या चुनौती थी, बजट का साइज क्या होता था? आप देखिए कि छत्तीसगढ़ से चाहे सीबीएसई से हो या माध्यमिक शिक्षा मंडल से हो बारहवीं में कितने बच्चे पास होते हैं और कितने बच्चे कालेज में जाते हैं? अभी यदि प्रायवेट यूनिवर्सिटी को जोड़ दें, तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का जीईआर 31-33% होगा और यदि हम सिर्फ शासकीय का जोड़ें तो 21-22% होगा। अभी 67 से 70% बच्चे कालेज नहीं जाते। जब छत्तीसगढ़ बना तो शासन के महाविद्यालय 117 थे जो अब 350 से ज्यादा हैं किन्तु उसके बाद भी बच्चे शासकीय कालेजों में नहीं जा रहे हैं। हमने निजी विश्वविद्यालय खोला, हम इसमें एक लाईन कहेंगे कि यह 19 हैं तो उसे 20 कर देंगे, लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं है, जो कि छत्तीसगढ़ में न चल रहा हो। ये खुल कहॉं रहा है? रायपुर के अटारी में। रायपुर में शिक्षा को लेकर कहीं पर क्षेत्रीय असंतुलन नहीं है। यदि भौगोलिक आधार पर क्षेत्रीय असंतुलन को देखें, यदि आप शासकीय आधार पर भी देखेंगे, तो इस सत्र के पहले हमने 15 सालों में बीजापुर, सुकमा, कोंटा, मैनपुर, देवभोग, बलरामपुर जैसी सब जगहों में कालेज खोल दिया। छत्तीसगढ़ में प्रायवेट यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट की व्यवस्था नहीं है। यदि NIT, IIM, IIIT जैसी संस्थाओं को छोड़ दें तो इन प्रायवेट यूनिवर्सिटीज़ का प्लेसमेंट रेशियो कितना रहा, यह उच्च शिक्षा विभाग को अध्ययन कराना चाहिए? जब हम इतनी यूनिवर्सिटीज़ को अनुमति दे रहे हैं, तो उनका प्लेसमेंट रेशियो कितना रहा, फीस का स्ट्रक्चर कितना है और प्लेसमेंट के लिए जो कंपनियॉं आईं, वे किस स्तर की है। भिलाई की एक कंपनी आयी या रायपुर का सिर्फ हीरा ग्रुप वाला आया या मल्टी नेशनल कम्पनी आयी या भारत की कोई बड़ी कंपनी टी.सी.एस. आयी या इंफोसिस आयी, क्या ऐसी कोई कंपनी छत्तीसगढ़ में प्लेसमेंट के लिए आयी ? दूसरा, नियामक आयोग के पास रेगुलर 5 कर्मचारी है। वह 5 कर्मचारी क्या करीकुलम चेक करेंगे और क्या मान्यता देखेंगे ? इसमें टीचर्स एजुकेशन है तो राष्ट्रीय मानक संस्था से उसका affiliation है या नहीं ? वह 5 लोग क्या चेक करेंगे और यह पुनर्वास विज्ञान पढ़ा रहे हैं। क्या पुनर्वास विज्ञान का करीकुलम यू.जी.सी. में है, कोई बतायेगा ? यदि मैंने पुनर्वास विज्ञान पढ़ लिया तो छत्तीसगढ़ के कौन से विभाग की सेवा भर्ती नियम में पुनर्विज्ञान को एसेसरी किया गया है ? अभी इसी सरकार के बनने के बाद मैंने एक अशासकीय संकल्प लाया था कि छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति बनायी जाये तो सरकार ने कहा कि पुनर्वास नीति बनायेंगे। यह ऐसी पुनर्वास नीति बनाये हैं जिसमें हैदराबाद की एक संस्था को 80 करोड़ रूपये में एक सॉफ्टवेयर दे दिये हैं कि कौन छत्तीसगढ़ से बाहर जाता है और कौन छत्तीसगढ़ में आता है और कौन नहीं आता उसको mandate करें is equal to पुनर्वास नीति। पुनर्वास नीति क्या है ? पत्राचार कोर्स। पत्राचार कोर्स कौन-

सी यूनिवर्सिटी से affiliated होगा ? इग्नू से affiliated रहेगा या जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी, पंडित सुंदर लाल शर्मा यूनिवर्सिटी है उससे affiliated रहेगा है, वह किससे affiliated रहेगा ? अब जब हम इसको मान्यता दे रहे हैं और देना ही है, उसमें संदेह नहीं है परंतु जो प्रश्न उठते हैं, मैं उसे बता रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब इस यूनिवर्सिटी को ऑटो मोड में तभी मान्यता दी जाये जब वह जशपुर में, सरगुजा में और बस्तर संभाग के जिलों में off campus खोले। राजेश जी, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की एक मात्र यूनिवर्सिटी है जिसमें off campus भी है और offshore campus भी है। लंका में उसका कॉलेज है, नेपाल में उसका कॉलेज है और भारत में तो कई जगह उसके कॉलेज हैं। जबकि वह स्टेट लेजिस्लेशन से ही बनी है पर उस समय वह एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है। अब जब यहां यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ रही है तो समय आ गया है कि हम उसी शर्त में उनको अनुमति दे जब वह इन क्षेत्रों में off campus खोले, जहां कौशल की, नौकरी की और नई शिक्षा की सर्वाधिक जरूरत है। हमारी जो traditional university या जो traditional college है, वह traditional subject ही पढ़ाते हैं। वहां के बच्चे नए सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ें और उनको off campus के लिए कोई पैसा मत लगे। इस यूनिवर्सिटी को यह बोला जाना चाहिए कि यदि आप रायपुर में यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं तो कांकेर में या मानपुर मोहला में या दल्ली राजहरा के सहसपुर लोहारा में या भानुप्रतापपुर में आपको off campus खोलना होगा और इतने subject के साथ खोलना है और fee structure इतना रखिये जो वहां के आदिवासी बच्चे और नेटिव्ह है, वह पटा सके। आप यदि शहरी क्षेत्र से कमा रहे हैं तो वहां के कितने गरीब बच्चों को पढ़ाकर तैयार कर रहे हैं ? यह off campus खोलने की शर्त पर ही उनको अनुमति दी जानी चाहिए। बाकी मैंने कल आपको सारी बातें कही हैं और उस बात को दोहराने से कोई मतलब नहीं है इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो यूनिवर्सिटी प्राईवेट यूनिवर्सिटी के नियामक आयोग है, उसके नियम में संशोधन करके इस यूनिवर्सिटी को इस शर्त में मान्यता दी जानी चाहिए और आगे भी यदि प्राईवेट यूनिवर्सिटी आती है तो वह off campus इन भौगोलिक क्षेत्रों में खोले और उन बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग करे। दूसरी बात, अब हमको इस बात को देखना है कि वह जो कोर्स लिखकर देते हैं उसमें कुछ स्पष्टीकरण रहे। जैसे पुनर्वास पत्राचार वाला कोर्स है और वह प्राईवेट यूनिवर्सिटी है तो इसका affiliation किससे होगा ? जब हम उसको सूचीबद्ध करते हैं तो ऐसी जो नई चीजें आती है उसमें स्पष्टता रहे। हमारे जो संस्कृति के विश्वविद्यालय हैं जिसमें दूसरी तरह के कोर्स थे, जैसे हमने राजनांदगांव में traditional course से हटकर देव संस्कृति विश्विद्यालय खोला था, वह de notify होने जा रहा है, उसके de notification की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। जैसे भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था हैं, भारतीय शिक्षण पद्धति हैं, भारतीय विषय हैं, हमारे सनातन विषय हैं, वहां ऐसे विषयों को भी पढ़ाया जाये। इसमें ऐसी यूनिवर्सिटी शामिल हो। वह लोग ऐसे कोर्स चलाये जिससे उनको बाध्यकारी

बनाया जाये। सभापति महोदय, यह केवल सुझाव है बाकी मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि मुझे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से भारत देश को माननीय प्रधानमंत्री जी और छत्तीसगढ़ राज्य को हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक विकसित राष्ट्र और एक विकसित राज्य के रूप में पहचान दिलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय में पूरे विकास की जो धूरी है वह शिक्षा पर आकर टिक जाती है। जो आंकड़ें हैं, इससे बहुत स्पष्ट हैं कि जब हमारा राज्य बना था उसके पहले हम कहां थे और आज हम कहां पहुंच चुके हैं। मैं गत वर्ष शिक्षा विभाग का एक प्रशासकीय प्रितवेदन पढ़ रहा था जिसमें यह लिखा था कि लगभग 40 लाख बच्चे प्रायमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन यहां पर कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 5 लाख के आसपास रहती है। यह कहां 40 लाख की संख्या और कहां 5 लाख की संख्या है। इसके बीच का जो गैप है, उसको दूर करने का केवल और केवल एक तरीका हो सकता है कि हम शिक्षा मंदिरों को ज्यादा से ज्यादा और लोगों के नज़दीक उपलब्ध करा पायें। उसी से यह विषय सामने आया है मैं इसके समर्थन में बात करना चाहता हूँ। मेरा केवल यह सुझाव रहेगा कि इस समय नवाचारों की जरूरत है। हमारे छत्तीसगढ़ के गांवों में रहने वाले बच्चों के सोचने का स्तर, सोचने का तरीका बदले और उनको रोजगार मूलक शिक्षा कैसे दी जा सके, इस पर विचार करने की जरूरत है। जैसा कि हम यह देख रहे हैं कि अगर हमको किसी उद्योग में एक ट्रेडमेन की भी जरूरत है तो वह भी बाहर के राज्यों से होकर आ रहे हैं। चूंकि कहने के लिए तो हमने छत्तीसगढ़ में रोजगार के बहुत सारे रास्ते खोले हैं। हमारी नई उद्योग नीति में हमने रोजगार को महत्व दिया है, लेकिन हम बारिकी से देखें तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को कितना फायदा हो रहा है? उसमें हम छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को कितना फायदा दिला पायेंगे। जब तक यहां पर व्यावहारिक शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक लोगों को तकनीकी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक यह संभव नहीं होगा। आज के जमाने में जो चुनौतियां हैं, जो opportunity (अवसर) है उसको समझकर, ऐसे निजी विश्वविद्यालय, जिन्हें मौका मिल रहा है। अगर उन्होंने अपना कोर्स डिजाईन किया, अगर वैसा उन्होंने व्यावहारिक शिक्षा दी और उन्हें फील्ड की शिक्षा मिली तो निश्चित तौर पर हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर हो सकेगा। मैं देख रहा था कि इसमें एक निजी विश्वविद्यालय के बारे में भी बात आयी है, जो नियामक आयोग के माध्यम से रायपुर में प्रस्तावित किया जा रहा है। नियामक आयोग को इन चीजों की एक चेक लिस्ट बनानी चाहिए, अन्यथा जो निजी विश्वविद्यालय और निजी कॉलेजों की जो छवी है, वह अच्छी बन सके। हमें बाजार में देखने और सुनने को मिल जाता है कि आपको कौन सी डिग्री चाहिए, आप उसका कितना पैसा दे सकते हैं। हमारे राज्य में ऐसी छवी नहीं

बननी चाहिए क्योंकि यह हथियार है। अगर शिक्षा ज्ञान का एक सबसे बड़ा आधार है तो एक हथियार भी है। अगर उसको सही ढंग से चलाया जायेगा तो हमारा राज्य एक विकसित राज्य के रूप में पहचाना जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई चूक होती है तो हमें यह हथियार काटने का भी काम कर सकता है । मैं इस विधेयक में जो भी संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, मैं, उनका अक्षरश: समर्थन करता हूँ। मैं इस छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं यही चाहूंगा कि जो यह नये विश्वविद्यालय के बारे में नियम में संशोधन किया जा रहा है, उसके पीछे जो लक्ष्य रखा गया है, उसे हम प्राप्त करने में सफल रहें। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही आग्रह रहेगा कि जो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग है, उसको व्यवहारिक तरीके से किया जाये। आजकल तो सोशल इंजीनियरिंग का भी जमाना आ गया है। जिसके पास डिग्री नहीं है, ऐसे लोगों को भी यूनिवर्सिटी का गेस्ट लेक्चरर के रूप में उनको मान्यता दी जाती है। निश्चित तौर पर ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण की भी सुविधा होनी चाहिए ताकि गरीब बच्चों को वहां पर एडमिशन मिल सके। ऐसे गावों में कल्चर, आर्ट, सनातन को लेकर के जो धर्माचार्य, कलाकार, कारीगर हैं, उनको भी ऐसे कालेजों में एक सदस्य के रूप में, एक गेस्ट लेक्चरर के रूप में उनको आने की एक शर्त लगाकर के ऐसे यूनिवर्सिटी को मान्यता देनी चाहिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने रखते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय
2.35 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री राजेश अग्रवाल (अंबिकापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक 2025 का समर्थन करता हूं। राज्य में गुणवत्तायुक्त शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु नये विश्वविद्यालयों की स्थापना आवश्यक है। प्रदेश के सभी भागों में उच्च शिक्षा का आलोक जगाने एवं उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु इन क्षेत्रों में विश्वविद्यालय जैसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की पहल स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में सभी क्षेत्रों में नित्य नये-नये कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। उन विशिष्ट क्षेत्रों में से एक शिक्षा का क्षेत्र है। राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु शासन के सराहनीय प्रयासों से आज उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9 राज्य विश्वविद्यालय एवं 18 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं। साथ ही उच्च शिक्षा को विस्तार देने के क्षेत्र में रूचि रखने वाले नवीन निजी संस्थाओं को राज्य अवसर प्रदान कर रहा है। इसी अनुक्रम में एक नये निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधिवत प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है। नवीन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2005 की अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत सदन में छत्तीसगढ़

निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत हुआ है। मैं सम्मानित सदन से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रयोजक निकाय जी.डी.आर. फाउंडेशन दुर्ग, छत्तीसगढ़ द्वारा कृष्णा विकास ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वीर सावरकर नगर, नंदनवन के पास, अटारी रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अनुमोदन उपरांत यह प्रदेश का 20वां निजी विश्वविद्यालय होगा। कल भी चर्चा हुई है। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य शासन कृतसंकल्पित है। शासन विगत् वर्षों में प्रदेश के सामान्य एवं अनुसूचित सभी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु लगातार प्रयास कर रही है जिसके परिणामस्वरूप राज्य की स्थापना के बाद शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 114 से बढ़कर वर्तमान में 335 हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 2 से बढकर 9 हो गई है। शासन द्वारा निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2005 द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। प्रदेश में अब तक 18 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल प्रवेश अनुपात एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शासन कृतसंकल्पित है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय-समय पर उच्च शिक्षा के नवीन केन्द्र यथा राजकीय और निजी विश्वविद्यालय के साथ-साथ महाविद्यालय स्थापित करने की पहल राज्य शासन द्वारा की गई है। रायपुर जिले के अंतर्गत पूर्व में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 8 है। इन विश्वविद्यालयों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय जिले का 9वां निजी विश्वविद्यालय होगा। इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम में अन्य निजी विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाले पाठ्यक्रमों की प्राथमिकताओं से भिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित करने का प्रस्ताव है । रायपुर जिले के अंतर्गत Krishna Vikas Institute of Technology, Rungta College of Pharmaceutical Science and Research Raipur तथा K.D. Rungta College of Science and Technology Raipur जैसे 3 प्रसिद्ध और उत्कृष्ठ संस्थाओं का सफल संचालन किया जा रहा है । उक्त तीनों महाविद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों को उनके चयनित क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में विश्वविद्यालय मार्गदर्शक सिद्ध होंगे । प्रस्तावित विश्वविद्यालय को अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, वास्तुशिल्प, डिजाईन जैसे महत्वपूर्ण और समीचीन पाठ्यक्रमों के साथ संचालित करने का प्रस्ताव है जिससे रायपुर और रायपुर के आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों में कौशल विकास होगा और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान होगी । प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय एक अनुभवी और कुशल नेतृत्व वाले निकाय के संरक्षण में

संचालित होगा जिससे इनमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा और लाभ होगा । हम सबको ज्ञात है की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में Skill Development और रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली शिक्षा पर जोर दिया गया है । प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप ही विशिष्ट और अधिक रोजगारपरक विषयों के संचालन का प्रस्ताव दिया गया है जिससे राज्य के युवाओं को कुशल बनाने में सहायक सिद्ध होगा । प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम जैसे अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, वास्तुशिल्प, डिजाईन, विज्ञान, व्यवसाय, प्रशासन, वाणिज्य, प्रबंधन, वित्त, आर्टस, सोशल साइंस, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल, विधि एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग पत्रकारिता, जन संप्रेषण, मीडिया, Library and information Science, Fine Art, Performing Art, Visual Art, apply dot, होटल प्रबंधन, अतिथि सत्कार, पर्यटन, यात्रा, पुनर्वास, विज्ञान में पत्रोपाधि स्नातक-स्नातकोत्तर उपाधि एवं समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएचडी और अन्य अनुसंधान। इस तरह से केवल नियमित पाठ्यक्रम में पत्रोपाधि एवं रोजगारमूलक शिक्षा से संबंधित है । इन विषयों का अध्ययन प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायक होगा । राज्य में विश्वनिधि विश्वविद्यालय के रूप में Krishna Vikas Global University, वीर सावरकर नगर अटारी की स्थापना किया जाना है । यह संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है और इस विधेयक के समर्थन में हमारे विधायकगण श्री रिकेश सेन जी, श्री अजय चंद्राकर जी, श्री नीलकंठ टेकाम जी और श्री राजेश अग्रवाल जी ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं, सुझाव दिए हैं इसके लिए हम आभारी हैं और हम सदन से आग्रह करते हैं कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक, 2025 को सर्वसम्मति से पारित करें । धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 हस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 हस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

(5) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025)

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय अजय चन्द्राकर जी, थोड़ा संक्षिप्त बोलना है। हमारे पास कुल समय 18 मिनट है, उस हिसाब से आप बोलेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- यह तो बहुत छोटा सा संशोधन है। माननीय मंत्री जी, ढाई लाख रुपये है न? ढाई लाख है या तीन लाख है? ढाई लाख रुपये है। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, प्रतिस्थापित करना है, एक लाइन का है। तो उसको फ्री करोगे, पचास रुपये करोगे, सौ रुपये करोगे, उसको बता दो। यही संशोधन है और क्या है? इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इससे कुछ ज्यादा है?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक। बता देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए इसको पारित किया जाए। बढ़िया संशोधन विधेयक है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अमर जी।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे मंत्री और खासकर राजस्व मंत्री, बहुत अच्छा संशोधन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि वर्ष 2021 तक इस देश के सभी लोगों को आवास मिल जाए, उस दिशा में केन्द्र सरकार पूरी तरह से, इसमें कोई बजट की बाधा नहीं थी, जो प्रस्ताव राज्य सरकारों से जाएं, उसको पूरा करती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरों में दो योजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत थीं। एक तो जिनके पास जमीन है और दूसरा जिनके पास जमीन नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास और इसको भारत सरकार बी.एल.सी. बोलती है और हमने छत्तीसगढ़ में मोर जमीन मोर मकान नाम दिया था। उसमें एक्ट में जो ढाई लाख की सीमा थी, स्वाभाविक रूप से यह राशि भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर वह क्राइटेरिया बदलता है और फिक्स करने से बार-बार राजस्व विभाग को असुविधा होती है। इसलिए राज्य सरकार को जो अधिकार दिया है, यह अच्छा अधिकार है, क्योंकि आगे भी तीन-चार सालों में यह राशि बढ़ेगी तो बहुत अच्छा है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातों के लिए माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह जो प्रस्ताव है मोर जमीन मोर मकान जिसको भारत सरकार बी.एल.सी. बोलती है, उसका है। पूरे प्रदेश में एक विषय आता है कि कब्जे वाली जमीन है, आबादी भूमि में कब्जा है। हमेशा पट्टा का विषय आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ही कार्यकाल में हमने कैबिनेट में वर्ष 2016 में एक निर्णय लिया था कि अगर कोई बिजली बिल पटाता हो, नल का कनेक्शन हो या कब्जा जमीन हो, PSUs को छोड़ दें या आबादी छोड़ दें तो उनको डीम्ड मानकर उनका बी.एल.सी. प्रोजेक्ट स्वीकृत किया जा सकता है, यह वर्ष 2016 में कैबिनेट में निर्णय हुआ, लेकिन उस कैबिनेट के निर्णय के बाद स्वाभाविक रूप से सत्ता में परिवर्तन हुआ। उनकी priority में आवास था ही नहीं और उन्होंने पांच साल कुछ नहीं किया। आज भी अगर हम देखेंगे तो राजस्व विभाग ने जो सर्वे कराया है, मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस कैबिनेट निर्णय को आप देख लीजिए। वर्ष 2016-17 में हुआ था कि जो डीम्ड है, उसको पट्टा मान लिया जाएगा। लेकिन आपने सर्वे कराया है और लगभग-लगभग सारे नगरीय निकायों में 12 हजार ऐसे प्रकरण हैं, इसको और व्यापकता से कराना चाहिए क्योंकि सर्वाधिक मांग इसी की है । प्रधान मंत्री आवास में समय लगता है और बीएलसी में तत्काल राशि स्वीकृत हो जाती है और प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबको जल्दी से जल्दी आवास मिले । इसमें आप देख लीजिए इस केबिनेट निर्णय के हिसाब से जो नगर निगम में नल बिल पटाता हो, बिजली बिल भी पटाता हो, कब्ज़ा भी हो, राशन कार्ड भी हो, जो सीमा आप तय करें । सारे निर्णय हमने किये हुए हैं । उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करते हुए, आप 12 हज़ार बोल रहे हो । सर्वे सूची में संख्या उससे ज़्यादा आएगी, थोड़ा व्यापकता से कर लें । अध्यक्ष महोदय, एक अनुरोध और करना चाहता हूं इस एक्ट से कुछ नहीं होगा । इस पट्टे की 7 साल से मांग है, जिसका समाधान अपनी ही सरकार ने किया था । तो इसका समाधान करने के लिए एक

समय सीमा में एक्ट पास हो जाएगा । मैं ऐसा मानता हूं कि यदि पट्टे का काम आपने जल्दी किया तो भारत सरकार की तरफ से बीएलसी का कोई एलॉटमेंट कभी नहीं रूकता, क्योंकि मैंने इस विभाग में काम किया है । मैं ऐसा समझता हूं कि एक-डेढ़ साल के अंदर हम शहरी क्षेत्रों में जो कब्ज़ाधारी हैं, जो बिजली बिल पटाते हैं, उन्हें आवास दे पाएंगे जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हम आवास बनाकर देंगे, उसको हम जल्दी पूरा कर पाएंगे (मेजो की थपथपाहट) । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि समय सीमा में एक बार फिर से सर्वे करा लीजिए, 12 हज़ार से ज़्यादा संख्या होगी और समय सीमा में करा लीजिए और पट्टे का काम एक समय सीमा में करवा लीजिए जिससे ग़रीबों को अगले साल तक उनके मकान का लोकार्पण कर सकें, फीता कटा सकें, उन्हें सुविधा होगी । मंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रस्ताव लाया है, इसके लिए मैं पूरी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक में एक छोटा सा सुझाव है । यह शहर की दृष्टि से आवश्यक है और आपने जो एक सर्वे कराके रखा है, जैसा कि माननीय अमर जी ने कहा है कि 2017 की केबिनेट में यह प्रस्ताव पारित किया था कि किसी भी व्यक्ति का ज़मीन पर कब्ज़ा है और यदि उसके पास राशन कार्ड है, पूर्व में भी पट्टा रहा है, यदि उसका पट्टा रिन्यूवल नहीं हुआ, तो अपने यहां सर्वे में एक कमी आई है उसके बाद सर्वे में इन्होंने यह किया है कि हम बस्ती शिफ्ट करेंगे, निगम ने अपनी शर्त में डाल दिया कि हम बस्ती शिफ्ट करेंगे । कोई बस्ती शिफ्ट नहीं हो पा रही है और उसमें लिख दिया कि इनको पट्टा नहीं मिल सकता और वे प्रधानमंत्री आवास से भी वंचित हो गए । यह बहुत बड़ी संख्या में, राजधानी में हज़ारों की संख्या में है और दूसरी चीज़ मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, पिछली बार भी मैंने विधान सभा में प्रश्न उठाया था । 3 साल का पट्टा तो कहीं होता ही नहीं है । नगर निगम रायपुर ने और राजस्व विभाग रायपुर ने 3 साल का पट्टा बांटा और वह 3 साल का पट्टा कहीं वेलिड नहीं है । ऐसी बड़ी संख्या में रायपुर राजधानी में जो पट्टे बंटे हैं उनको गंभीरता से लेकर एक व्यवस्थित कर दें ताकि सरकार का जो उद्देश्य है कि आम गरीब जनता को सरकार की योजना का लाभ मिल जाए । ये संशोधन है इस पर भी ज़रूर विचार कर लें ।

श्री सुनील सोनी (रायपुन नगर दक्षिण) :- एक लाईन का सुझाव है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप महापौर रहे हैं ।

श्री सुनील सोनी :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से यह आग्रह है कि मेरा कब्जा 600, 700 स्क्वेयर फिट में है आप बोलेंगे कि हम 300 स्क्वेयर फिट का पट्टा देंगे तो बहुत आक्रोश होगा, इसका भी कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए । इतना ही कहना है ।

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्र में सबके लिए आवास मिशन के तहत् प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का क्रियान्वयन 01.09.2024 से लागू किया गया है । पीएमएयू 2.0 के दिशा निर्देश अनुसार लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी के अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्र में निवासरत् पात्र हितग्राही ईडब्ल्यूएस श्रेणी की वार्षिक अधिकतम् आय रूपए 3 लाख निर्धारित की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवास व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 की कंडिका 2(ख) पात्र व्यक्ति की वार्षिक आय रूपए 2 लाख, 50 हजार रूपए से अधिक न हो, का प्रावधान है इसलिए राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए का संशोधन कर रही है जिससे समय-समय पर भारत सरकार द्वारा योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किये जाने की स्थिति में राज्य के आमजनों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके निर्देश में यह संशोधन लाया गया है।

इस विषय पर माननीय श्री अजय चंद्राकर जी, माननीय श्री अमर अग्रवाल जी, माननीय श्री राजेश मूणत जी, माननीय श्री सुनील सोनी जी के बहुमूल्य सुझाव आए हैं। वर्तमान में इस अधिनियम के पारित होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा वार्षिक आय रूपये 3 लाख किया जाना अपेक्षित है। इस संशोधन से दोनों अधिनियम में समानता आएगी व दोनों योजना का आमजन को लाभ मिल पाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के घटक लाभार्थी आधारित निर्माण के अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्र की आबादी भूमि पर निवासरत पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिगत योजना के अनुरूप छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 में संबंधित प्रावधान में आवश्यक संशोधन किया गया है जिससे कि जन साधारण को लाभ मिल सके। वर्तमान में नगरीय निकायों में लगभग 12 हजार हितग्राहियों का चिन्हांकन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया गया है। इस संशोधन के होने से इन्हें प्रत्यक्ष रूप से तत्काल लाभ मिलेगा और भविष्य में पात्र हितग्राहियों के चिन्हांकन में आमजनों को इसका लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, अब इस सत्र में राजस्व विभाग का कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, अगले सत्र में मुंगेली में हवाई अड्डा का जमीन सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई करें, ये आग्रह है। (हंसी)

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- नहीं, मेरा थोड़ा सा और सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष यहां अभी नहीं आएंगे तो इनको कुछ प्रतिनियुक्ति पर, कुछ सदस्यों को जाना चाहिए। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- रिकेश सेन को उधर भेज देते हैं। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- रिकेश अकेले संभाल लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- इसकी जवाबदारी रामविचार को ही देंगे कि किसको भेजना है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- लेकिन मुंगेली में हवाई अड्डे के लिए आप आसंदी से निर्देश कर दीजिए। पुन्नूलाल जी अपने जीवनकाल में सब काम करवा लिए हैं, हवाई अड्डा भर बाकी है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

(अपरान्ह 3:00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 27, शक संवत् 1947) के पूर्वान्ह 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छ.ग.) **सचिव**

दिनांक : 17 जुलाई, 2025 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं